रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 156] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 9, 2015/ज्येष्ठ 19, 1937
No.156] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 9, 2015/JYAISTHA 19, 1937

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जून, 2015

(अंतिम जांच परिणाम)

.....

विषय : चीन और हांगकांग मूल के अथवा वहां से निर्यातित "फ्लेक्स फेब्रिक्स" के आयातों पर अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा जांच

सं. 15/30/2013-डीजीएडी.—समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे एतद्पश्चात अधिनियम कहा गया है) और समय-सयम पर यथासंशोधित सीमाशुल्क प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे एतद्पश्चात पाटनरोधी नियमावली कहा गया है) के नियम 16 को ध्यान में रखते हुए;

क. मामले की पृष्ठभूमि

1. यत: चीन जन.गण. तथा हांगकांग से संबद्ध वस्तु के आयातों से संबंधित मूल जांच की शुररुआत प्राधिकारी द्वारा दिनांक 03 अक्तूबर, 2008 की अधिसूचना संख्या 14/8/2008-डीजीएडी के तहत की गई थी। चीन जन.गण. एवं हांगकांग (जिन्हें एतद्पश्चात संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "फ्लेक्स फेब्रिक्स" (जिसे एतद्पश्चात संबद्ध वस्तु कहा गया है) के आयातों पर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश करते हुए प्राधिकारी द्वारा प्रारंभिक जांच परिणाम दिनांक 17/02/2009 को जारी किया गया था। दिनांक 26 मार्च, 2009 की सीमाशुल्क अधिसूचना संख्या 30/2009-सीमाशुल्क के तहत अनंतिम पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण किया गया था। प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से फ्लेक्स फेब्रिक्स के आयातों पर निर्णाय पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश करते हुए दिनांक 01 अक्तूबर, 2009 की अधिसूचना संख्या

14/08/2008-डीजीएडी के तहत अंतिम जांच परिणाम अधिसूचित किए थे। संबद्ध वस्तु पर निर्णायक पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण दिनांक 21 दिसम्बर, 2009 की सीमाशुल्क अधिसूचना संख्या 142/2009-सीमाशुल्क के तहत किया गया था।

2. यत:, मैसर्स जयश्री टेक्सटाइल्स (आदित्य बिरला नुवो लिमिटेड की एक इकाई) जिसे एतद्पश्चात याचिकाकर्ता कहा गया है) ने प्राधिकारी के समक्ष अधिनियम और नियमावली के अनुसार एक विधिवत साक्ष्यांकित आवेदनपत्र संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से आयातित संबद्ध वस्तु के पाटन की निरंतरता बने रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना तथा पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में पाटन एवं क्षति की निरंतरता बने रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना तथा पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में पाटन एवं क्षति की निरंतरता बने रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना का आरोप लगाते हुए दायर की है। आवेदक ने संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा करने, उसकी निरंतरता बनाए रखने अथवा उसमें संवृद्धि करने का अनुरोध किया है।

3. और यत:, प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर चीन जन.गण. तथा हांगकांग के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क की निरंतरता बनाए रखने की जरूरत और पाटन तथा घरेलू उद्योग को उसके परिणामस्वरूप होने वाली क्षति की निरंतरता बने रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना का निर्धारण करने के लिए नियमावली के अनुसार संबद्ध जांच प्रारंभ करते हुए भारत के राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 10 मार्च, 2014 की अधिसूचना संख्या 15/30/2013-डीजीएडी के तहत एक सार्वजनिक सूचना जारी की।

ख. प्रक्रिया

4. इस जांच में निम्नलिखित वर्णित प्रक्रिया का अनुपालन किया गया है :

(i) प्राधिकारी ने संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों के संबंध में समीक्षा पाटनरोधी जांच की शुरुआत करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित दिनांक 10 मार्च, 2014 की एक सार्वजनिक सूचना जारी की।

(ii) इस जांच की शुरुआत के संबंध में नरियम 6(2) के अनुसार संबद्ध देशों के नई दिल्ली स्थित राजदूतावास को सूचना प्रेषित की गई।

(iii) प्राधिकारी ने इस सार्वजनिक सूचना की एक प्रति के साथ एक पत्र सभी ज्ञात निर्यातकों तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों/उद्योग एसोसिएशनों (जिनके विवरण घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराए गए थे) को प्रेषित की और उन्हें पाटनरोधी नियमावली के अनुसार निर्धारित समय सीमा के अंदर अपने विचारों से लिखित रूप से अवगत कराने का अवसर प्रदान किया।

(iv) प्राधिकारी ने आवेदनपत्र के अगोपनीय पाठ की प्रति पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(3) के संबद्ध देश में सभी ज्ञात निर्यातकों और संबद्ध देश के राजदूतावास को उपलब्ध कराई। इस आवेदनपत्र की एक प्रति, अनुरोध करने पर, अन्य हितबद्ध पक्षकारों को भी उपलब्ध कराई गई तथा उसे सार्वजनिक फाइल में भी रखा गया।

(v) प्राधिकारी ने इस सार्वजनिक सूचना की एक प्रति चीन एवं हांगकांग के निम्नलिखित ज्ञात विनिर्माताओं/निर्यातकों (जिनके नाम और पते प्राधिकारी को उपलब्ध कराए गए थे) को प्रेषित की और उन्हें नियम 6(2) एवं 6(4) के अनुसार पत्र की तारीख से चालीस दिनों के अंदर अपने विचारों से लिखित रूप में अवगत करने का अवसर प्रदान किया :

(क) यांगक्सिन युआनडांग टेक्सटाइल कंपनी, चीन जन.गण.

(ख) छांग्सु टोन्घी ग्रुप कंपनी लिमिटेड

(ग) हनान हुआशेंग इंडस्ट्रियल एंड ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड

(घ) मेंगयिन काटन टेक्सटाइल कंपनी लिमिटेड

(ङ) सुझोऊ झेन्लांग टेक्सटाइल कंपनी लिमिटेड

(च) हरबिन चाओलांग फ्लेक्स कंपनी लिमिटेड

(छ) वुजिन हुआन्यु टेक्सटाइल्स कंपनी लिमिटेड

(ज) जिआंग्सु फैन्जिआ फ्लेक्स टेक्सटाइल मिल कंपनी

(झ) एच के जिशुन इंटरनेशनल इंडस्ट्री लिमिटेड

(ञ) सुझोऊ नान्या ग्रुप

(ट) बिन्फेन्सुआंग फेब्रिक कंपनी लिमिटेड

(ठ) क्विक्विहर झेंग्शि आन टेक्सटाइल कंपनी लिमिटेड

(ड) हुआफेंग रामी टेक्सटाइल कंपनी लिमिटेड

(ढ) छांग्सु लिफेंग लिनेन एंड काटन वीविंग कंपनी लिमिटेड

(ण) हुनान गोल्डेनटेस कंपनी लिमिटेड

(त) वुजिआंग होन्गी टेक्सटाइल कंपनी लिमिटेड

(थ) झुचेंग डिलियुआन टेक्सटाइल कंपनी लिमिटेड

(द) युइक्ि◌कां रिलायबल इलेक्ट्रिक कंपनी लिमिटेड

(ध) शाओक्सिंग इन हैंड टेक्सटाइल कंपनी लिमिटेड

(न) शाओक्सिंग गुक्को इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी लिमिटेड

(प) हैनिंग युटेक्स कंपनी लिमिटेड

(फ) क्विंग्डाओ युझोऊ निट एंड टेक्सटाइल कंपनी लिमिटेड

(ब) वुजिआंग माइशुंडा सिल्क टेक्सटाइल कंपनी लिमिटेड

(vi) किसी भी निर्यातक ने न तो निर्यातक प्रश्नावली प्रत्युत्तर दायर किया और न ही उन्होंने कोई अन्य प्रस्तुतिकरण किया।

(vii) प्राधिकारी ने इस संबद्ध वस्तु के भारत में निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/उपभोक्ताओं को (जिनके नाम एवं पते प्राधिकारी को आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए थे) इस सार्वजनिक सूचना की एक प्रति प्रेषित की और उन्हें सुझाव दिया कि वे इस पत्र के जारी होने की तारीख से चालीस दिनों के अंदर नियम 6(4) के अनुसार अपने विचारों से लिखित रूप में अवगत करा दें :

(क) के. मोहन टेक्सटाइल्स, बंगलौर, कर्नाटक

(ख) प्रतीक अपैरन्स प्राइवेट लिमिटेड, कर्नाटक

(ग) अम्बाट्टुर क्लोदिंग कंपनी लिमिटेड, तमिलनाडु

(घ) आदित्य बिरला नुवो लिमिटेड, कर्नाटक

(ङ) शाही एक्सपोर्टस प्राइवेट लिमिटेड, फरीदाबाद

(च) रिचा एंड कंपनी नई दिल्ली

(छ) लीला स्काटिश, चेन्नई, तमिलनाडु

(ज) कलरप्लस फैशन्स प्राइवेट लिमिटेड, तमिलनाडु

(झ) मलबेरी सिल्क लिमिटेड, कर्नाटक

(ञ) इंडियन टिरैन क्लोदिंग प्राइवेट लिमिटेड, तमिलनाडु

(ट) ओरियंट क्लोदिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, हरियाणा

(ठ) मोहन क्लोदिंग कंपनी (प्राइवेट) लिमिटेड, हरियाणा

(ड) अनीश इंडिया एक्सपोर्ट हरियाणा

(ढ) गोकलदास इमेजेज, कर्नाटक

(ण) प्रसम एक्सपोर्टस, महाराष्ट्र

(त) रेमंड लिमिटेड (टेक्सटाइल डिवीजन) मुंबई

(थ) चौपड़ा एसोसिएट्स, मुंबई

(viii) किसी भी आयातक से कोई प्रश्नावली प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

(ix) वर्तमान समीक्षा के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि (पीओआई) 01 अक्तूबर, 2012 से 30 सितम्बर, 2013 (12 माह) तक है। क्षति विश्लेषण के संबंध में प्रवृत्तियों की जांच में 01 अप्रैल, 2010 से जांच की अवधि की समाप्ति तक अर्थात वर्ष 2010-11, 2011-12, 2012-13 और जांच की अवधि को भी शामिल किया जाएगा।

(x) उन निर्यातकों, उत्पादकों तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को, जिन्होंने न तो प्राधिकारी को प्रत्युत्तर दिया और न ही इस जांच से संगत कोई सूचना प्रदान की, उन्हें असहयोगकर्ता हितबद्ध पक्षकार के रूप में माना गया।

(xi) प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य का अगोपनीय पाठ नियम 6(7) के अनुसार सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निरीक्षण के लिए एक खुली फाइल में रखा।

(xii) प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तु की भारत में उत्पादन लागत और गैर-क्षतिकारी कीमत का निर्धारण करने के लिए नियम के अनुबंध-3 में विनिर्धारित दिशानिर्देशों के आधार पर घरेलू उत्पादक द्वारा प्रस्तुत सूचना की यथासंभव सीमा तक जांच की है ताकि यह सुनिश्चय किया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से न्यूनतर पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग की क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।

(xiii) प्राधिकारी ने 15 अक्तूबर, 2014 को सार्वजनिक सुनवाई का आयोजन किया। इस सार्वजनिक सुनवाई में केवल याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग द्वारा ही प्रतिभागिता की गई थीं, जिनसे यह अनुरोध किया गया कि वे मौखिक रूप से अभिव्यक्त किए गए अपने विचारों को लिखित रूप में प्रस्तुत करे।

(xiv) जांच की कार्रवाई के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरणों की जांच की गई और उनका इस जांच में समाधान कर दिया गया।

(xv) वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकीय निदेशालय से अनुरोध किया गया है कि वह भारत में, जांच की अवधि सहित, पिछले तीन वर्षों में हुए संबद्ध वस्तु के आयातों का विवरण प्रदान कराए और उक्त सूचना डीजीसीआईएंडएस से प्राप्त की गई तथा इस जांच के लिए उसी को अपनाया गया।

(xvi) घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों एवं सूचना का आवश्यक समझी गई सीमा तक और स्थल सत्यापन किया गया।

(xvii) हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान कराई गई सूचना की गोपनीयता की जांच गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में की गई। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने, जहां कहीं अधिपत्रित हुआ, गोपनीयता के दावे को स्वीकार कर लिया और ऐसी सूचना को गोपनीय के रूप में माना गया और उसका प्रकटन अन्य हितबद्ध पक्षकारों को नहीं किया गया है। जहां कहीं संभव हुआ वहां, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान कराने वाले

हितबद्ध पक्षकारों को निदेश दिया गया कि वे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय पाठ भी प्रस्तुत करें।

(xviii) जहां कहीं किसी हितबद्ध पक्षकार ने जांच की कार्रवाई के दौरान आवश्यक सूचना तक पहुंच की मनाही की है अथवा अन्यथा आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं कराई है अथवा इस जांच को भारी अवरोध उत्पन्न किया है, वहां प्राधिकारी ने उक्त जांच "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर की है तथा उन पक्षकारों को असहयोगकर्ता पक्षकार के रूप में माना गया है।

(xix) इस अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना में *** हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना का प्रतिनिधित्व करता है और प्राधिकारी ने नियमों के अंतर्गत उसे गोपनीय ही माना है।

(xx) जांच की अवधि के लिए अपनाई गई विनिमय दर 1 यूएस डालर = 56.90/-रुपए है।

ग. विचाराधीन उत्पाद का दायरा एवं समान वस्तु
घरेलू उद्योग द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण

5. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित प्रस्तुतिकरण किए गए हैं :

(i) विचाराधीन उत्पाद चीन जन.गण. एवं हांगकांग के मूल का अथवा वहां से निर्यातित 50 प्रतिशत से अधिक फ्लेक्स अंतर्वस्तु युक्त फ्लेक्स फेब्रिक है। इसे सामान्यत: सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम के अध्याय 53 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है।

(ii) फ्लेक्स और लिनेन समानार्थी हैं और शब्द फ्लेक्स को लिनेन के रूप में भी जाना जाता है और इसका प्रयोग फ्लेक्स फाइबर से बने यार्न और फेब्रिक का उत्पादन करने के लिए किया जा सकता है। इसका अक्सर प्रयोग जेनरिक टर्म के रूप में बोनेन बेड, बाथटब, टेबल एवं किचेन टेक्सटाइल्स के एक श्रेणी का वर्णन करने के लिए किया जाता है क्योंकि परम्परागत रूप से फ्लेक्स का प्रयोग तौलिए और चादरों के लिए व्यापक रूप से किया जाता था। पिछले अंतिम जांच परिणाम के अनुसार घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वोवेन फेब्रिक (जिनमें फ्लेक्स अंतर्वस्तु 50 प्रतिशत से अधिक थी) और संबद्ध देशों से आयातित वस्तु को नियमावली के आशय के अंतर्गत विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु माना गया है। चूंकि घरेलू उद्योग 50 प्रतिशत तक के फ्लेक्स अंतर्वस्तु युक्त फेब्रिक का पर्याप्त उत्पादन नहीं कर रहा है इसलिए प्राधिकारी ने यह निष्कर्ष निकाला है कि 50 प्रतिशत से अधिक फ्लेक्स अंतर्वस्तु युक्त फेब्रिक विचाराधीन उत्पाद है।

(iii) मौजूदा जांच इस समय लगे शुल्कों की निर्णायक समीक्षा जांच होने के कारण विचाराधीन उत्पाद का दायरा वही रहेगा जो मूल जांच में था।

(iv) विचाराधीन उत्पाद अत्यधिक अवशोषक, ताप नियामक, एलर्जी रोधी, एंटी स्टैटिक, बैक्टीरिया रोधी और यूवी – संरक्षक फ्रेब्रिक है। यह सभी मौसम में आरामदायक है और पहनने में अच्छा लगता है। यह अपनी थर्मो-नियामक गुण धर्मों के कारण सर्दियों में इन्सुलेटिंग और गर्मियों में सांस लेने योग्य है।

(v) इस विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन उत्तरी यूरोपीय देशों खासकर फ्रांस और बेल्जियम में उगने वाले फ्लेक्स नामक सेल्युलेजिक पादप से किया जाता है। इन फाइबरों को, तत्पश्चात नम स्पिनिंग प्रक्रिया के जरिए लिनेन यार्न में सम्परिवर्तित किया जाता है जो अन्य किसी स्पिनिंग प्रक्रिया की तुलना में एक अप्रतिम प्रक्रिया है। इस लिनेन यार्न का प्रयोग ग्रे या रंगीन, बुनाई के लिए यथापेक्षित, में किया जाता है। वुनाई के बाद इसे प्रसंस्कृत किया जाता है और फिर बाजार में इसकी बिक्री की जाती है।

उत्पादकों/निर्यातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया प्रस्तुतिकरण

6. किसी भी अन्य हितबद्ध पक्षकार ने विचाराधीन उत्पाद एवं समान वस्तु के संबंध में न तो कोई प्रत्युत्तर दिया है और न ही कोई मुद्दा उठाया है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

7. इस जांच में विचाराधीन उत्पाद, मूल जांच में विचाराधीन उत्पाद की तरह, फ्लेक्स फेब्रिक्स है। निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा की गई मूल जांच के अनुसार इस उत्पाद को निम्नवत परिभाषित किया गया है :

"चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद फ्लेक्स फेब्रिक है जिसे सामान्यत: सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम के अध्याय 53 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। फ्लेक्स और लिनेन समानार्थी हैं और शब्द फ्लेक्स को लिनेन के रूप में भी जाना जाता है और इसका प्रयोग फ्लेक्स फाइबर से बने यार्न और फेब्रिक का उत्पादन करने के लिए किया जा सकता है। इसका अक्सर प्रयोग जेनरिक टर्म के रूप में बोनेन बेड, बाथटब, टेबल एवं किचेन टेक्सटाइल्स के एक श्रेणी का वर्णन करने के लिए किया जाता है क्योंकि परम्परागत रूप से फ्लेक्स का प्रयोग तौलिए और चादरों के लिए व्यापक रूप से किया जाता था। इस उत्पाद को सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम के अध्याय 53 के उपशीर्षक संख्या 53.09 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। तथापि, यह वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और यह वर्तमान जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वोवेन फेब्रिक (जिसमें 50 प्रतिशत से अधिक फ्लेक्स अंतर्वस्तु हो) और संबद्ध देशों से आयातित फ्लेक्स फेब्रिक को समान वस्तु माना गया है और नियमावली के आशय के अंतर्गत वह विचाराधीन उत्पाद है।

प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि ग्रेड-वार उत्पादन विवरण के अनुसार घरेलू उद्योग ने 30-50 प्रतिशत फ्लेक्स अंतर्वस्तु युक्त फेब्रिक का उत्पादन किया है। यह कुल उत्पादन का 0.62 प्रतिशत ही है। चूंकि घरेलू उद्योग 50 प्रतिशत तक के फ्लेक्स अंतर्वस्तु युक्त फेब्रिक का पर्याप्त मात्रा में उत्पादन नहीं कर रहा है इसलिए प्राधिकारी ने यह निष्कर्ष निकाला है कि वही फेब्रिक विचाराधीन उत्पाद होगा जिसकी फ्लेक्स अंतर्वस्तु 50 प्रतिशत से अधिक है।

8. चूंकि वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है और इसके अतिरिक्त, चूंकि किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने इस विचाराधीन उत्पाद या समान वस्तु के दायरे के संबंध में कोई तर्क प्रस्तुत नहीं किया है इसलिए विचाराधीन उत्पाद एवं समान वस्तु का दायरा वही रहेगा जो मूल जांच में था।

घ. घरेलू उद्योग का दायरा एवं आधार

घरेलू उद्योग द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण

9. घरेलू उद्योग का दायरा एवं आधार के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित प्रस्तुतिकरण किए गए हैं :

(i) यह याचिका मैसर्स जयश्री टेक्सटाइल्स, आदित्य बिरला नुवो लिमिटेड की एक इकाई (याचिकाकर्ता कंपनी) द्वारा दायर की गई है जिसने वर्तमान याचिका तैयार करने के लिए सभी आवश्यक सूचना प्रदान करा दी है।

(ii) याचिकाकर्ता ने जांच की अवधि के दौरान इस विचाराधीन उत्पाद का चीन जन.गण. से आयात किया है। तथापि, यह आयात नगण्य मात्राओं में है।

(iii) याचिकाकर्ता का संबद्ध देशों में इस विचाराधीन उत्पाद के किसी भी उत्पादक/निर्यातक से कोई संबंध नहीं है। तथापि, याचिकाकर्ता का संबंध इस विचाराधीन उत्पाद के एक आयातक से है जिसने नगण्य मात्रा में आयात किया है।

(iv) विधि की सुस्थापित स्थिति के अनुसार प्राधिकारी, स्वविवेक से किसी ऐसे उत्पादक को घरेलू उद्योग के दायरे के अंतर्गत शामिल कर सकता है जो संबद्ध वस्तु के किसी उत्पादक/निर्यातक से संबद्ध है अथवा जिसने संबद्ध वस्तु का आयात किया है। वर्तमान मामले में, मैसर्स जयश्री टेक्सटाइल्स और इसकी ग्रुप कंपनियों मैसर्स मदुराफैशन एंड लाइफ स्टायल और मदुरा गार्मेंट एक्सपोर्ट ने चीन से इस संबद्ध वस्तु का अल्प मात्रा में आयात किया है। भारत में इस विचाराधीन उत्पाद के आयातों के साथ इन कंपनियों द्वारा किए गए आयातों की मात्रा से तुलना करने पर मैसर्स जयश्री टेक्सटाइल्स का उत्पादन, भारतीय उत्पादन तथा भारत में इस विचाराधीन उत्पाद की खपत यह दर्शाती है कि इन पैरामीटरों की तुलना में इन कंपनियों द्वारा किए गए आयात की मात्रा बहुत कम है। इसके अतिरिक्त, मदुरा गारमेंट एक्सपोर्टस द्वारा किए गए आयात शुल्क छूट स्कीम के अंतर्गत किए गए है। याचिकाकर्ता ने इस उत्पाद का आयात इस उत्पाद एवं इसकी कीमतों की जांच करने के लिए किया था।

(v) कंपनी ने एसएएस सेनिको, फ्रांस को आर्डर इसके उत्पाद एवं इसमें चीन की सामग्री की जांच करने के लिए दिया था। इसलिए यह अनुरोध किया जाता है कि प्राधिकारी मैसर्स जयश्री टेक्सटाइल्स को एक पात्र घरेलू उद्योग के रूप में मान ले।

(vi) याचिकाकर्ता का उत्पादन कुल भारतीय उत्पादन का एक बड़ा अनुपात बनता है। इस विचाराधीन उत्पाद के कई उत्पादक इस याचिका का समर्थन कर रहे हैं। इसलिए, याचिकाकर्ता वर्तमान याचिका दायर करने और याचिकाकर्ता "घरेलू उद्योग" बनने के लिए नियमों के अंतर्गत अपेक्षित सभी आधार को पूरा करता है।

उत्पादकों/निर्यातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण

10. घरेलू उद्योग का दायरा एवं आधार के संबंध में किसी भी अन्य हितबद्ध पक्षकार ने न तो कोई प्रत्युत्तर दिया है और न ही कोई अन्य मुद्दा उठाया है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

11. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधान है :

"(ख) "घरेलू उद्योग" का आशय समान वस्तु के विनिर्माण या उससे संबंधित किसी अन्य क्रियाकलाप में समग्र रूप से लगे उन सभी घरेलू उत्पादकों अथवा उन उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उस वस्तु के समस्त घरेलू उत्पादन का एक बड़ा अनुपात बनता हो, सिवाय इसके कि यदि ये उत्पादक कथित पाटित वस्तु के निर्यातकों अथवा आयातकों से संबंधित हो पाटित वस्तु के निर्यातकों अथवा आयातकों से संबंधित हों अथवा उसके स्वयं आयातक हो तो ऐसे मामलों में वाक्यांश "घरेलू उद्योग" को केवल देश उत्पादकों के रूप में माना जाएगा।

12. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यह आवेदन आदित्य बिरला नुवो लिमिटेड की एक इकाई मैसर्स जयश्री टेक्सटाइल्स द्वारा दायर किया गया है। याचिकाकर्ता ने यह सूचित किया है कि भारत में इस विचाराधीन उत्पाद के कई अन्य उत्पादक भी हैं अर्थात् एम. महेन्द्र कुमार एंड कंपनी, डानियर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मुनिराज सिंथेटिक्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, निर्वाण सिल्क मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, बालू फेब्रिक्स दर्शन क्रीएशन प्राइवेट लिमिटेड, महिन्द्रा टेक्सटाइल, मास्टर लिनेन्स इक. गोवर्धन ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड, वी.पी. टेक्स प्राइवेट लिमिटेड, वसंती फेब्रिक्स, वीएसएम वीव्स इंडिया लिमिटेड और वीटीएम लिमिटेड। इन सभी ने इस याचिका का समर्थन किया है। मैसर्स सचदेव फेब्रिक वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड, जिन्हें पहले अन्य भारतीय उत्पादकों की सूचना में माना गया था, ने यह सूचित किया है कि उन्होंने जांच की अवधि के दौरान 50 प्रतिशत या उससे अधिक के फ्लेक्स अंतर्वस्तु युक्त फेब्रिक का उत्पादन नहीं किया है। इसलिए उन्हें इस अवधि के दौरान कुल फ्लेक्स उत्पादन एवं बिक्री (दोनों अनुमानित) से अपवर्जित कर दिया गया था। अब इस जांच की अवधि में याचिकाकर्ता का उत्पादन कुल भारतीय उत्पादन का लगभग 37 प्रतिशत उत्पादन है और यह एक बड़ा अनुपात बनता है क्योंकि अन्य उत्पादक छितरे हुए एवं विखंडित उत्पादक हैं। मूल जांच में भी मैसर्स जयश्री टेक्सटाइल्स को उत्पादन में लगभग 39.22 प्रतिशत हिस्सा धारित होने के कारण घरेलू उद्योग के रूप में माना गया था। याचिकाकर्ता ने यह उल्लेख किया है कि मैसर्स जयश्री टेक्सटाइल्स ने अपनी ग्रुप कंपनियों मैसर्स मदुरा फैशन एंड लाइफस्टाइल और मदुरा गारमेंट्स एक्सपोर्टस के साथ मिलकर चीन से अल्प मात्रा में आयात किया था। मैसर्स जयश्री टेक्सटाइल्स द्वारा इसकी ग्रुप कंपनियों मैसर्स मदुरा फैशन एंड लाइफ स्टाइल और मदुरा गारमेंट्स एक्सपोर्टस के साथ मिलकर किए गए आयात याचिकाकर्ता के कुल उत्पादन का लगभग 3.31 प्रतिशत, कुल भारतीय उत्पादन का 1 प्रतिशत, संबद्ध देशों से कुल आयातों का 4.93 प्रतिशत और जांच की अवधि के दौरान कुल भारतीय मांग का 0.85 प्रतिशत बनता है। इसके अतिरिक्त, यह सभी आयात भारत सरकार की शुल्क छूट स्कीम के अंतर्गत किए गए थे। आयातों की अल्प मात्रा पर विचार करते हुए याचिकाकर्ता को नियमावली के आशय के अंतर्गत पात्र घरेलू उद्योग के रूप में माना गया है। नियमों के अंतर्गत याचिकाकर्ता का घरेलू उद्योग बनने पर याचिकाकर्ता की पात्रता के विरुद्ध किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने कोई भी तर्क नहीं दिया है। भारतीय उत्पाद का संशोधित विवरण निम्नलिखित है :

	विवरण	उत्पादन (लाख मीटर में)			
		2010-11	2011-12	2012-13	जांच की अवधि
1	याचिकाकर्ता (क) : जयश्री टेक्सटाइल्स	66	61	67	74
2	समर्थनकर्ता (ख)	54	52	67	75
3	समर्थनकर्ता सहित याचिकाकर्ता (क+ख)	120	113	134	149
4	अन्य भारतीय उत्पादक (ग)	36	39	46	49
	कुल भारतीय उत्पादन (क+ख+ग)	156	152	180	198

	विवरण	कुल भारतीय उत्पादन में हिस्सेदारी			
1	याचिकाकर्ता (क) : जयश्री टेक्सटाइल्स	42%	40%	38%	37%
2	समर्थनकर्ता (ख)	35%	34%	37%	38%
3	समर्थनकर्ता सहित याचिकाकर्ता (क+ख)	77%	74%	75%	75%
4	अन्य भारतीय उत्पादक (ग)	23%	26%	25%	25%
	कुल भारतीय उत्पादन (क+ख+ग)	100%	100%	100%	100%

13. प्राधिकारी ने रिकार्ड में उपलब्ध सूचना की जांच करने के पश्चात् यह निश्चय किया है कि याचिकाकर्ता अपनी नियम 2(ख) के आशय के अंतर्गत घरेलू उद्योग बनता है और यह याचिका नियमावली के नियम (5) के आधार पर मानदंड को पूरा करती है।

ड. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत, पाटन मार्जिन और बाजार अर्थव्यवस्था दर्ज की क्रियापद्धति एवं निर्धारण

बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति

14. प्राधिकारी ने चीन के उत्पादकों/निर्यातकों को जांच शुरूआत नोटिस का प्रत्युत्तर देने तथा उनकी बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति का निर्धारण करने से संगत सूचना प्रदान करने का सुझाव दिया था। प्राधिकारी ने नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8(3) में निर्धारित मानदंडों के अनुसार गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की प्रकल्पना का खंडन करने के लिए सभी ज्ञात निर्यातकों को बाजार अर्थव्यवस्था दर्जा प्रश्नावली प्रेषित की। प्राधिकारी ने चीन की सरकार से भी अनुरोध किया कि वह अपने देश के उत्पादकों/निर्यातकों को सूचना प्रदान करने का सुझाव दें। यथासंशोधित पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैराग्राफ 8 के अनुसार यदि चीन जन.गण. के निर्यातक पैराग्राफ 8 के उप-पैराग्राफ (3) में निर्दिष्ट मानदंडों के आधार पर सूचना एवं पर्याप्त साक्ष्य प्रदान करते हैं और इसके विपरीत सिद्ध कर देते हैं तो गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की प्रकल्पना का खंडन किया जा सकता है। चीन में संबद्ध वस्तु के उत्पादकों/निर्यातकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह बाजार अर्थव्यवस्था दर्जा प्रश्नावली के प्रत्युत्तर में पैराग्राफ 8 के उप-पैराग्राफ (3) में यथा उल्लिखित आवश्यक सूचना/पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करें जिससे निर्दिष्ट प्राधिकारी अधोलिखित प्रतिमानों पर विचार कर सके कि क्या :

(i) चीन जन.गण. में कच्चे माल, प्रौद्योगिकी और श्रम की लागत, आउटपुट, बिक्रियों और निवेश को शामिल करते हुए कीमत लागत और इनपुट के संबंध में संबंधित फर्मों का निर्णय ऐसे बाजार संकेतकों के प्रत्युत्तर में किए गए हैं जो मांग एवं आपूर्ति को प्रतिबिम्बित करते है और इस संबंध में निर्णय राज्य के हस्तक्षेप के बिना किया गया है और क्या प्रमुख इनपुटों की लागत बाजारों मूल्यों का पर्याप्त रूप से प्रदर्शित करती है;

(ii) इन फर्मों की उत्पादन लागत और वित्तीय स्थिति पूर्ववर्ती गैर-बाजार अर्थव्यवस्था प्रणाली, खासकर परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास, बट्टे खाते में डाले गए अन्य, विनिमय व्यापार तथा ऋणों की क्षतिपूर्ति द्वारा भुगतान से की गई भारी विकृतियों के अध्यधीन होती है।

(iii) यह फर्मे दिवालियापन और संपत्तियों विधियों के अध्यधीन होती हैं जो इन फर्मों के प्रचालन के लिए विधिक निश्चितता एवं स्थिरता की गारंटी प्रदान करती है; और

(iv) विनिमय दर परिवर्तन बाजार दरों पर किया जाता है।

प्राधिकारी द्वारा भेजी गई एमईटी प्रश्नावली का किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने प्रत्युत्तर नहीं दिया है।

च. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन

घरेलू उद्योग द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण

15. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित प्रस्तुतिकरण किए गए हैं :

(i) चीन जन.गण. और हांगकांग के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने निर्यातक प्रश्नावली का प्रत्युत्तर नहीं दिया है।

(ii) चीन के उत्पादकों की लागत और कीमत पर सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता है।

(iii) यह सिद्ध करने की जिम्मेदारी है कि वे बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति के अंतर्गत प्रचालन कर रहे हैं।

(iv) बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा तब तक नहीं दिया जा सकता है जब तक कि प्रतिवादी कंपनी और इसका ग्रुप समग्र रूप से दावा नहीं करते हैं। यदि इस ग्रुप का भाग बनने वाली एक या उससे अधिक कंपनियों और इसके उत्पादन तथा इसकी बिक्री करने में अंतर्ग्रस्त कंपनियों द्वारा प्रत्युत्तर नहीं दिया जाता है तो बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति को नामंजूर कर दिया जाना चाहिए।

(v) ऐसी स्थिति में जहां मौजूदा शेयरधारकों ने अपनी उत्पादन सुविधाएं स्वयं स्थापित नहीं की हैं, परंतु उस सुविधा को किसी अन्य पक्षकार से अवाप्त किया है तो बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा तब तक नहीं दिया जा सकता है जब तक कि इस परिवर्तन के प्रक्रम को दस्तावेजी साक्ष्यों द्वारा पूरी तरह से सिद्ध नहीं कर दिया जाता है।

(vi) चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तृतीय देश में कीमत अथवा संरचित मूल्य के इसलिए आधार पर नहीं किया जा सकता है क्योंकि संगत सूचना याचिकाकर्ता को उपलब्ध नहीं है। भारत को अन्य देशों से निर्यात कीमत को इस कारण से नहीं अपनाया जा सकता है कि अन्य देशों से आयात कीमतें संबद्ध देशों से आयातों के कारण प्रभावित हो सकती हैं। इस आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए प्राधिकारी को ऐसे तृतीय देश में सहयोगकर्ता उत्पादकों द्वारा की गई सभी घरेलू बिक्रियों तथा इसकी उत्पादन लागत एवं इससे संबद्ध अन्य सभी सूचनपा एवं साक्ष्यों (व्यापार के सामान्य अनुक्रम में सभी सूचना सहित) से संबंधित सत्यापन योग्य विस्तृत एवं संपूर्ण सूचना प्राप्त करना जरूरी है। याचिकाकर्ता किसी बाजार अर्थव्यवस्था वाले तृतीय देश से ऐसी जानकारी अवाप्त करने में अक्षम रहे हैं। घरेलू उद्योग ने सामान्य मूल्य का निर्धारण भारत में विधिवत समायोजित उत्पादन लागत के आधार पर किया है।

(vii) हांगकांग की घरेलू बाजार में संबंधित उत्पाद की कीमत के साक्ष्य प्राप्त करने के लिए और प्रकाशित स्रोतों से कीमत के साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रयास किए गए। तथापि, घरेलू उद्योग सार्वजनिक अधिकार क्षेत्र में किसी संगत सूचना के अभाव के कारण हांगकांग की घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तु के उत्पादकों के कुटेशनों या कीमत सूची जैसी कोई सूचना/साक्ष्य एकत्र नहीं कर सका। इसी को ध्यान में रखते हुए हांगकांग के सभी निर्यातकों/उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य की संरचना की गई है। घरेलू उद्योग ने हांगकांग के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के आधार पर किया है।

(viii) प्रत्येक संबद्ध देश के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण आयातों की प्रति मीटर कीमत के अनुसार किया गया है। निर्यात कीमत का समायोजन समुद्री भाड़ा, सामुद्रिक बीमा, वैट घाटा (चीन-1 प्रतिशत, हांगकांग – शून्य), पत्तन व्यय, बैंक प्रभार और अंत:भूमि भाड़ा व्यय के रूप में किए गए व्यय के लिए किया गया है।

(ix) शुल्क का अधिरोपा करने के पश्चात् भी पाटन की निरंतरता बनी रही और यह पाटन मार्जिन पर्याप्त है तथा यह प्रत्येक संबद्ध देश के लिए न्यूनतम से अधिक है।

उत्पादकों/निर्यातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण

16. संबद्ध वस्तु के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत या पाटन मार्जिन के संबंध में न तो कोई प्रश्नावली प्रत्युत्तर दायर किया, न ही कोई विधिक प्रस्तुतिकरण किया अथवा न ही अन्यथा कोई आवश्यक सूचना प्रदान की।

बाजार अर्थव्यवस्था के दावे की जांच और चीन जन.गण. में सामान्य मूल्य का निर्धारण

17. 9क (1) (ग) किसी वस्तु के संबंध में "सामान्य मूल्य" का आशय–

(i) *उपनियम (6) के अंतर्गत बने नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश अथवा भू-भाग में खपत के उद्देश्य से व्यापार के सामान्य अनुक्रम में समान वस्तु के लिए तुलनीय कीमत है; अथवा*

(ii) निर्यातक देश या भूभाग की घरेलू बाजार में व्यापार के सामान्य अनुक्रम में जब उस सामान समान वस्तु की बिक्री न होती हो अथवा निर्यातक देश या भू-भाग की घरेलू बाजार में विशिष्ट बाजार परिस्थितियों अथवा बिक्री की न्यून मात्रा के कारण, ऐसी बिक्रियां समुचित तुलना करने की अनुमति न देती हों तो उस वस्तु का सामान्य मूल्य या तो-

(क) उप-धारा (6) के अंतर्गत बने नियमों के अनुसार यथा-निर्धारित उस समान वस्तु की वह तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत होगी जिस पर उसका निर्यात किसी निर्यातकर्ता देश या (भू-भाग से) किसी उपयुक्त तृतीय देश को किया जाता है; अथवा

(ख) उप-धारा (6) के अंतर्गत बने नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री या सामान्य लागत तथा लाभ के लिए किए गए अन्य संवर्धनों सहित उद्गम के देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत होती है;

बशर्ते कि उद्गम के देश के अलावा किसी अन्य देश से उक्त समान वस्तु का आयात होने और जहां उक्त वस्तु का निर्यात के देश के जरिए केवल यानान्तरण किया गया हो अथवा उक्त वस्तु का निर्यात के देश में उत्पादन न किया जाता हो अथवा निर्यात के देश में उक्त वस्तु की कोई तुलनीय कीमत न हो तो सामान्य मूल्य निर्धारण उद्गम के देश में इसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

18. इस जांच शुरूआत के स्तर पर प्राधिकारी ने चीन जन.गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में प्रकल्पना करते हुए कार्रवाई की। जांच शुरूआत करने पर, प्राधिकारी चीन जन.गण. के उत्पादकों/निर्यातकों को अपनी बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति का निर्धारण करने से संबंधित सूचना प्रदान करने और जांच शुरूआत नोटिस का प्रत्युत्तर देने का सुझाव दिया। प्राधिकारी ने नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8(3) में निर्धारित प्रतिमानों के अनुसार गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की प्रकल्पना का खंडन करने के लिए सभी ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को एमईटी प्रश्नावली की प्रतियां प्रेषित थीं। प्राधिकारी ने चीन की सरकार से भी अनुरोध किया कि वह अपने देश के उत्पादकों/निर्यातकों को संगत जानकारी प्रदान करने का सुझाव दें। तथापि, चीन के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने प्रत्युत्तर दायर नहीं किया। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि विगत तीन वर्षों में भारत तथा डब्ल्यूटीओ के अन्य सदस्यों द्वारा की गई पाटनरोधी जांचों में चीन को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में माना गया है इसी को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी ने वर्तमान जांच में संबद्ध देश के उत्पादकों/निर्यातकों को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में माना है।

19. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि विगत तीन वर्षों के दौरान भारत तथा डब्ल्यूटीओ के अन्य सदस्यों द्वारा की गई पाटनरोधी जांच में चीन जन.गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में माना है। इसलिए, पाटनरोधी नियमावली के अनुलग्नक 1 के पैरा 8(2) के अनुसार चीन जन.गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में, उपर्युक्त नियमावली में उल्लिखित शर्तों के अनुसार निर्यातक देश अथवा अलग-अलग निर्यातकों द्वारा इसका खंडन किए जाने की प्रकल्पना के अध्यधीन माना गया है।

20. यथासंशोधित पाटनरोधी नियमावली के अनुलग्नक-1 के पैराग्राफ 8 के अनुसार यदि चीन जन.गण. के निर्यातक पैराग्राफ 8 के उप-पैराग्राफ (3) में विनिर्दिष्ट प्रतिमानों के आधार पर सूचना अथवा पर्याप्त साक्ष्य प्रदान करते हैं और इसके विपरीत सिद्ध करते हैं तो गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की प्रकल्पना का खंडन किया जा सकता है। चीन जनवादी गणराज्य में

संबद्ध वस्तु के सहयोगकर्ता निर्यातकों/उत्पादकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे बाजार अर्थव्यवस्था उपचार प्रश्नावली के प्रत्युत्तर में पैराग्राफ 8 के उप-पैराग्राफ (3) में यथा उल्लिखित आवश्यक सूचना/पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करें जिससे कि निर्दिष्ट प्राधिकारी निम्नलिखित मानदंडों पर विचार कर सकें कि क्या :

(i) चीन जन.गण. में कच्चे माल, प्रौद्योगिकी और श्रम की लागत, आउटपुट बिक्रियों और निवेश सहित, कीमतों, लागतों और अंतर्निविष्टियों के संबंध में संबंधित फर्मों का निर्णय मांग एवं आपूर्ति को प्रदर्शित करने वाले बाजार संकेतकों के प्रत्युत्तर में, इस संबंध में राज्य के पर्याप्त हस्तक्षेप के बिना किए जाते हैं और क्या प्रमुख अंतर्निविष्टियों की लागत पर्याप्त बाजार मूल्यों को प्रतिबिम्बित करती है।

(ii) इन फर्मों की उत्पादन लागत और वित्तीय स्थिति पूर्ववर्ती गैर-बाजार अर्थव्यवस्था प्रणाली द्वारा क्रियान्वित की गई भारी विकृतियों, खासकर परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास, अन्य बट्टे खाते में डाले गए, विनिमय व्यापार तथा ऋणों की क्षतिपूर्ति के जरिए भुगतान के संबंध में की गई विकृतियों के अध्यधीन है।

(iii) यह फर्में दिवालियापन और संपदा विधियों के अध्यधीन होती हैं जो इन फर्मों के प्रचालन के लिए विधिक निश्चितता और स्थिरता की गारंटी प्रदान करती है।

(iv) विनिमय दर संपरिवर्तन बाजार दरों पर किया जाता है।

21. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि वर्तमान जांच में चीन के किसी भी निर्यातक ने कोई भी प्रत्युत्तर दायर नहीं किया है। चूंकि घरेलू वास्तविक बिक्री कीमत, तृतीय देश को निर्यातों से संबंधित सूचना अथवा चीन जन.गण. में उत्पादन लागत तथा प्रश्नावली के अनुरूप अन्य सूचना के संबंध में कोई वास्तविक सूचना उस देश के किसी भी उत्पादक/निर्यातक द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई है। इसलिए प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना पर भरोसा किया है।

22. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ सामान्य मूल्य का निर्धारण अनुलग्नक-1 के पैरा 7 को ध्यान में रखकर किया है। चीन जन.गण. से भारत को आयात किए गए संबद्ध उत्पादों के सामान्य मूल्य घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान कराई गई सूचना के अनुसार घरेलू उद्योग के लिए अनुमत स्तर पर संपरिवर्तन लागत, ब्याज, एसजीए, के अनुसार की गई है, ब्याज का अपवर्जन करते हुए तर्कसंगत लाभ के लिए बिक्री लागत के 5 प्रतिशत की अनुमति दी गई है।

हांगकांग के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण

23. चूंकि हांगकांग के किसी भी उत्पादक और निर्यातक ने प्रश्नावली का प्रत्युत्तर विहित स्वरूप और ढंग से नहीं दिया है और न ही संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु के सामान्य मूल्य के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है, इसलिए प्राधिकारी उस देश में सामान्य मूल्य की निर्धारण, घरेलू उद्योग की याचिका में अंतर्निहित सूचना सहित सर्वोत्तम उपलब्ध तथ्यों के आधार पर करने को बाध्य है। तदनुसार, प्राधिकारी ने हांगकांग के लिए सामान्य मूल्य की संरचना सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के आधार पर उत्पादन लागत के आकलनों के आधार पर की है। हांगकांग के लिए इस तरह निर्धारित सामान्य मूल्य अधोलिखित पाटन मार्जिन तालिका में दिया गया है। हांगकांग से भारत में आयातित संबद्ध वस्तु के सामान्य मूल्य की संरचना घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान कराई गई सूचना के अनुसार प्रमुख कच्चे माल की खपत पर विचार करते हुए की गई है। अन्य सभी कच्चे माल तथा घरेलू उद्योग की उपयोगिता लागत को संगत अवधि के दौरान संपरिवर्तन लागत के सर्वोत्तम उपलब्ध आकलनों और सर्वोत्तम खपत कारकों पर विचार करते हुए अपनाया गया है। इस तरह निर्धारित उत्पादन लागत में बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक लागत तथा तर्कसंगत लाभ मार्जिन को जोड़ा गया है जिससे कि संरचित सामान्य मूल्य का निर्धारण किया जा सके।

निर्यात कीमत का निर्धारण

24. चूंकि संबद्ध देशों के किसी निर्यातक ने विहित स्वरूप और ढंग से कोई ऐसी सूचना प्रदान नहीं कराई है जिसका प्रयोग निर्यात कीमत का निर्धारण करने के लिए किया जा सकता हो इसलिए प्राधिकारी ने संबद्ध देशों के सभी निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण डीजीसीआईएंडएस आंकड़ों के अनुसार भारत में आयातों की सीआईएफ कीमत के आधार पर की है। निर्यात कीमत का निर्धारण भारत में भारित औसत आयात कीमत के आधार पर किया गया है।

25. चीन जन.गण. और हांगकांग के निर्यातकों से असहयोग के मद्देनजर आवेदक घरेलू उद्योग द्वारा किए गए दावे के आधार पर कीमत समायोजन किया गया है। निर्यात कीमत का निर्धारण फैक्टरी बाह्य स्तर पर समुद्री भाड़ा, सामुद्रिक बीमा, वैट घाटा (चीन-1 प्रतिशत, हांगकांग – शून्य), कमीशन, बैंक प्रभार, पत्तन एवं अंत:स्थलीय भाड़ा प्रभारों के लिए समायोजन करने के पश्चात् किया गया है।

पाटन मार्जिन

26. ऊपर यथानिर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए पाटन मार्जिन का निर्धारण निम्नवत किया गया है। यह देखा जाता है कि पाटन मार्जिन न्यूनतम से अधिक एवं पर्याप्त है।

पाटन मार्जिन तालिका

विवरण	यूनिट	चीन	हांगकांग
सामान्य मूल्य का आधार		संरचित	संरचित
सामान्य मूल्य	यूएस डालर/मीटर	****	****
निर्यात कीमत	यूएस डालर/मीटर	****	****
पाटन मार्जिन	यूएस डालर/मीटर	****	****
पाटन मार्जिन	%	****	****
पाटन मार्जिन	रेंज	30-40	20-30

क्षति मार्जिन के लिए क्रियापद्धति और क्षति एवं कारणात्मक संबंधों की जांच

घरेलू उद्योग द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण

27. क्षति एवसं कारणात्मक संबंधों के बारे में घरेलू उद्योग के निम्नलिखित प्रस्तुतिकरण किए हैं :

(i) वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि (पीओआई) अक्तूबर, 2012 से सितम्बर, 2013 (12 माह) है। तथापि, क्षति अवधि को वर्ष 2010-11, 2011-12, 2012-13 और पीओआई के रूप में माना गया है।

(ii) चूंकि संबद्ध देशों में से प्रत्येक के लिए आयात की मात्रा एवं पाटन मार्जिन निर्धारित सीमा से अधिक है इसलिए निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा मूल जांच में अपनाए गए के अनुसार इस जांच में भी संचयी आकलन अपनाया गया है और संचयी आकलन ही उपयुक्त है।

(iii) यद्यपि, पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण ने घरेलू उद्योग की अधोगति का निवारण किया है, फिर भी इसने घरेलू उद्योग को अपने निष्पादन में उस सीमा तक सुधार करने में सहायता नहीं की है जिस सीमा तक इसका विकास पाटन की निरंतरता के अभाव में हो सकता था। यह पाटनरोधी शुल्क के स्वरूप के मद्देनजर है। चूंकि आयात पाटनरोधी शुल्क का भुगतान किए बिना किए गए थे, इसलिए आयातों की मात्रा बहुत अधिक बनी रही।

(iv) क्षति अवधि में घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है। तथापि, पाटनरोधी शुल्क के मौजूदा स्वरूप के मद्देनजर पाटनरोधी शुल्क मौजूद होने के बावजूद पाटित आयातों का बाजार हिस्सा बहुत अधिक बना रहा। पाटन मार्जिन न केवल न्यूनतम से अधिक है बल्कि यह बहुत अधिक है।

(v) यद्यपि विभिन्न आर्थिक पैरामीटरों के संबंध में घरेलू उद्योग के निष्पादन में सुधार हुआ है तथापि, मात्रा पैरामीटर के रूप में यह सुधार उस स्तर से बहुत नीचे था जिसे पाटन की प्रक्रिया न होने की स्थिति में घरेलू उद्योग द्वारा अवाप्त कर लिया जाता।

(vi) आयात घरेलू कीमतों का अधोरदन कर रहे हैं और पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर देने के प्रभाव का बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों पर भारी अवमंदन प्रभाव होगा।

(vii) पाटनरोधी शुल्क लगे होने के बावजूद घरेलू उद्योग इष्टतम स्तर प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो पाया है। ऐसा पाटित आयातों की सतत मौजूदगी के कारण हुआ है।

(viii) मौजूदा पाटनरोधी शुल्क के बावजूद घरेलू उद्योग पर मात्रा के रूप में निरंतर विपरीत प्रभाव पड़ता रहा है। यह प्राथमिकता पाटनरोधी शुल्क के स्वरूप के कारण हुआ है। पाटनरोधी शुल्क का बेंचमार्क स्वरूप देश में इस उत्पाद के पाटन का निवारण करने में सक्षम नहीं हुआ है।

उत्पादकों/निर्यातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकरों द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण

28. क्षति एवं कारणात्मक संबंधों के बारे में किसी भी उत्पादक/निर्यातक/अन्य हितबद्ध पक्षकार ने कोई भी प्रस्तुतिकरण नहीं किया है। मैसर्स सचदेवा फेब्रिक वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड, जिन्हें इससे पूर्व अन्य भारतीय उत्पादकों की सूची में माना गया था, ने सूचित किया है कि वे 50 प्रतिशत या उससे अधिक के फ्लैक्स अंतर्वस्तु युक्त फेब्रिक का उत्पादन नहीं करते है। इसलिए, उन्हें कुल फ्लैक्स उत्पादन से अपवर्जित कर दिया गया है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

29. इस संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए विभिन्न प्रस्तुतिकरणों पर विचार करते हुए प्राधिकारी संबद्ध देश से आयातों के कारण पाटन एवं क्षति की संभावना के पहलू की जांच करने से पहले घरेलू उद्योग को मौजूदा क्षति, यदि कोई, की जांच करने के लिए अग्रसर होते हैं।

30. डब्ल्यूटीओ करार के अनुच्छेद 30 और पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II में (क) पाटित आयातों की मात्रा और घरेलू बाजार में समान उत्पादों के लिए कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव; और (ख) उन आयातों का इन उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर परिणामी प्रभाव, दोनों की उद्देश्यपरक जांच करने का प्रावधान है। पाटित आयातों के मात्रा प्रभाव के संबंध में प्राधिकारी को यह जांच करना अपेक्षित होता है कि क्या पाटित आयातों में निर्बाध रूप से अथवा भारत में उत्पादन एवं खपत के संबंध में भारी वृद्धि हुई है। पाटित आयातों के कीमत प्रभाव के संबंध में प्राधिकारी को यह जांच करना अपेक्षित होता है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमतों की तुलना में पाटित आयातों द्वारा भारी कीमत अधोरदन किया गया है अथवा इन आयातों का प्रभाव कीमतों का अन्यथा भारी मात्रा में अवमंदन करना है अथवा कीमतों में उस वृद्धि को हाने से रोकना है, जो अन्यथा भारी मात्रा में घटित हुआ होता।

31. जहां तक घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव का संबंध है, पाटनरोधी नियमावली के अनुलग्नक-II के पैरा (iv) में निम्नलिखित प्रावधान किया गया है :

> *"घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में उन सभी संगत आर्थिक कारकों एवं संकेतकों की उद्देश्यपरक एवं पक्षपात रहित जांच शामिल होगी जिनका उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है, इनमें शामिल हैं बिक्री, लाभ, आउटपुट, बाजार हिस्सा, उत्पादकता, निवेश करने वाले उपादान, पाटन मार्जिन के परिमाण का नकदी प्रवाह, मालसूची, रोजगार, वेतन, वृद्धि, पूंजी निवेश उगाहने की क्षमता पर वास्तविक एवं संभावित ऋणात्मक प्रभाव।"*

32. भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए पूर्वोक्त नियमावली के अनुलग्नक-II के अनुसार उन सभी संकेतकों पर विचार किया गया है जिनका घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है जैसे उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री मात्रा, स्टॉक लाभप्रदता, निवल बिक्री प्रापण, पाटन मार्जिन एवं पाटन की मात्रा आदि।

33. सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम की धारा 9(क) (5) के अनुसार अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क, जब तक उसका प्रतिसंहरण नहीं कर दिया जाता है तब तक वह ऐसे अधिरोपण की तारीख से पांच वर्षों की अवधि की समाप्ति के पश्चात निष्प्रभावी हो जाएगा बशर्ते कि, केंद्रीय सरकार का किसी समीक्षा में यह विचार है कि इस शुल्क को समाप्त कर देने से पाटन एवं क्षति की निरंतरता बने रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है, तो यह समय-समय पर, इस अधिरोपण को पांच वर्षों की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ा सकती है और यह बढ़ी हुई अवधि ऐसे विस्तार के आदेश की तारीख से प्रारंभ होगी।

34. वर्तमान जांच प्रभावी पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा जांच है। नियम 23 में प्रावधान है कि समीक्षा के मामले में नियम 11 के उपाबंध यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे। इसलिए प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को क्षति का निर्धारण अनुलग्नक-II के साथ पाठित नियम 11 के उपबंधों पर यथावश्यक परिवर्तनों सहित विचार करते हुए किया है। इसके अतिरिक्त, चूंकि इस विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क प्रभावी है, इसलिए प्राधिकारी यह विचार करते हैं कि क्या चीन जन.गण. और हांगकांग से संबद्ध वस्तु के आयातों पर मौजूदा पाटनरोधी शुल्क पर, घरेलू उद्योग को क्षति की

जांच करते समय विचार करना आवश्यक है। प्राधिकारी ने यह जांच की है कि क्या मौजूदा पाटनरोधी शुल्क उस पाटन का सामना करने के लिए पर्याप्त है या नहीं जो घरेलू उद्योग को क्षति कारित कर रहा है।

35. सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम की धारा 9(क) (5) के अनुसार अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क, जब तक उसका प्रतिसंहरण नहीं कर दिया जाता है तब तक वह ऐसे अधिरोपण की तारीख से पांच वर्षों की अवधि की समाप्ति के पश्चात निष्प्रभावी हो जाएगा बशर्ते कि, केंद्रीय सरकार का किसी समीक्षा में यह विचार है कि इस शुल्क को समाप्त कर देने से पाटन एवं क्षति की निरंतरता बने रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है, तो यह समय-समय पर, इस अधिरोपण को पांच वर्षों की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ा सकती है और यह बढ़ी हुई अवधि ऐसे विस्तार के आदेश की तारीख से प्रारंभ होगी।

36. वर्तमान क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग पर संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों की मात्रा एवं कीमत प्रभाव तथा कीमतों एवं लाभप्रदता पर उसके प्रभाव की जांच पाटन एवं क्षति के बीच कारणात्मक संबंधों एवं क्षति की मौजूदगी की जांच की है। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को क्षति की जांच नियमावली के अंतर्गत घरेलू उद्योग संस्थापित होने वाले मैसर्स जयश्री टेक्सटाइल्स से संबंधित सूचना पर विचार करते हुए की है। तदनुसार, पाटित आयातों के कीमतम एवं मात्रा प्रभाव की जांच निम्नवत की गई है :

ज. पाटित आयातों का कीमत प्रभाव एवं घरेलू उद्योग पर प्रभाव

क) मांग एवं बाजार हिस्सा

37. प्राधिकारी ने इस उत्पाद की भारत में मांग अथवा स्पष्ट खपत का निर्धारण भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्री और सभी स्रोतों से भारत में इस संबद्ध वस्तु के आयातों के योग के रूप में किया है जैसा कि अधोलिखित तालिका में दर्शाया गया है :

भारत में मांग एवं बाजार हिस्सा

क्र. स.	**विवरण**	**मापन की इकाई**	**2010-11**	**2011-12**	**2012-13**	**जांच की अवधि**	**2013-14**
(क)	मांग						
(i)	संबद्ध देश	लाख मीटर	56	56	53	49	49
	चीन	लाख मीटर	52	52	49	46	47
	हांगकांग	लाख मीटर	4	4	4	3	2
(ii)	अन्य देश	लाख मीटर	3	4	2	2	2
	कुल आयात	लाख मीटर	**59**	**60**	**55**	**51**	**51**
(iii)	घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्रियां	लाख मीटर	58	63	70	71	75
(iv)	अन्य भारतीय उत्पादक*	लाख मीटर	88	90	106	119	127
	कुल मांग	लाख मीटर	**205**	**213**	**232**	**241**	**253**
	प्रवृत्ति						
(ख)	बाजार हिस्सा						
(i)	संबद्ध देश	%	27%	26%	23%	20%	19%
(ii)	अन्य देश	%	1%	2%	1%	1%	1%
(iii)	घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्रियां	%	28%	29%	30%	30%	30%
(iv)	अन्य भारतीय उत्पादक	%	43%	43%	46%	49%	50%
	कुल	**%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

- *अन्य उत्पादकों के संबंध में सूचना (समर्थक कंपनी को छोड़कर) का आकलन घरेलू उद्योग द्वारा बाजार आसूचना के आधार पर किया गया है। जांच की अवधि के पश्चात की अवधि के लिए सूचना घरेलू उद्योग से यथाप्राप्त सूचना है। मैसर्स सचदेवा फेब्रिक वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड, जन पर इससे पूर्व अन्य भारतीय उत्पादकों की सूची में रखकर विचार किया गया था, ने सूचना दी है कि उन्होंने जांच की अवधि के दौरान 50 प्रतिशत या उससे अधिक के फ्लेक्स अंतर्वस्तु युक्त फेब्रिक या उत्पादन नहीं किया। इसलिए, उनका उस अवधि के दौरान कुल फ्लेक्स उत्पादन तथा बिक्री (दोनों अनुमानित) से अपवर्जन कर दिया गया।*

38. इस विचाराधीन उत्पाद की समग्र मांग सकारात्मक प्रवृत्ति प्रदर्शित कर रही है और इसमें क्षति अवधि के दौरान वर्ष 2010-11 के दौरान 205 लाख मीटर की तुलना में जांच की अवधि के दौरान वृद्धि होकर 241 लाख मीटर हो गई। इसके अतिरिक्त, तालिका यह दर्शाती है कि यद्यपि संबद्ध देशों से आयात की मात्रा में कम होने की प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई है फिर भी घरेलू उद्योग का बाजार लगभग स्थिर रहकर 30 प्रतिशत ही बना रहा। तथापि, अन्य भारतीय उत्पादकों का बाजार हिस्सा जो वर्ष 2010-11 में 43 प्रतिशत था, बढ़कर वर्ष 2013-14 के दौरान लगभग 50 प्रतिशत हो गया। तथापि, प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु का आयात भारत में कुल मांग के संबंध में जांच की अवधि के दौरान लगभग 20 प्रतिशत बना रहा जो बहुत अधिक है।

पाटित आयातों का कीमत प्रभाव ओर उसका घरेलू उद्योग पर प्रभाव

39. संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों के कारण घरेलू उद्योग पर कीमतों के प्रभाव की जांच कीमत अधोरदन, कीमत अधोविक्रयण, कीमत निग्रहण और कीमत अवमंदन के संबंध में की गई है। इस विश्लेषण के प्रयोजनार्थ, घरेलू उद्योग के संबद्ध वस्तु की उत्पादन लागत, निवल बिक्री प्रापण (एनएसआर) और गैर-क्षतिकारी कीमत (एनआईपी) की तुलना संबद्ध देशों से आयातों के उतराई मूल्य से की गई। जांच की अवधि के दौरान इस संबद्ध वस्तु के लिए पाटित आयातों के उतराई मूल्य की तुलना घरेलू बाजार में घरेलू बिक्री कीमत से की गई। घरेलू उद्योग के निवल बिक्री प्रापण का निर्धारण करने के लिए घरेलू उद्योग द्वारा पेशकश किए गए कर, रिबेट, डिस्काउंट और कमीशन का समायोजन किया गया है। कीमत अधोविक्रयण क्षति के आकलन का एक महत्वपूर्ण संकेतक है और इसलिए प्राधिकारी ने एक गैर-क्षतिकारी कीमत का निर्धारण किया है और कीमत अधोविक्रयण का निर्धारण करने के लिए उसकी उतराई मूल्य से तुलना की गई है। घरेलू उद्योग के लिए गेर-क्षतिकारी कीमत का मूल्यांकन जांच की अवधि के दौरान इस विचाराधीन उत्पाद के लिए उत्पादन लागत पर समुचित रूप से विचार करते हुए किया गया है। स्थिति निम्नलिखित है :

क) कीमत अधोरदन एवं अधोविक्रयण

40. कीमत अधोविक्रयण का आकलन जांच की अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु की भारत में घरेलू बिक्री कीमत की तुलना निर्यात कीमत के साथ करके की गई है। यह देखा जा सकता है कि आयातों की उतराई कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम है जैसा कि अधोलिखित तालिका से देखा जा सकता है :

(क) कुल संबद्ध देश

क्र.सं.	विवरण	यूनिट	2010-11	2011-12	2012-13	जांच की अवधि
1	निवल बिक्री प्रापण	रुपए/मीटर	****	****	****	****
	अनुक्रमित	अनुक्रमित	100	120	128	133
2	आयातों का उतराई मूल्य	रुपए/मीटर	156	213	205	217
	अनुक्रमित	अनुक्रमित	100	137	131	139
3	कीमत अधोरदन	रुपए/मीटर	****	****	****	****
	अनुक्रमित	अनुक्रमित	100	95	123	124
4	कीमत अधोरदन	% एनएसआर	****	****	****	****
		रेंज	35-45	25-35	30-40	30-40

(ख) चीन

क्र.सं.	विवरण	यूनिट	2010-11	2011-12	2012-13	जांच की अवधि
1	निवल बिक्री प्रापण	रुपए/मीटर	****	****	****	****
	अनुक्रमित	अनुक्रमित	100	120	128	133
2	आयातों का उतराई मूल्य	रुपए/मीटर	154	209	203	216
	अनुक्रमित	अनुक्रमित	100	135	132	140
3	कीमत अधोरदन	रुपए/मीटर	****	****	****	****
	अनुक्रमित	अनुक्रमित	100	97	122	122
4	कीमत अधोरदन	% एनएसआर	****	****	****	****
	रेंज	रेंज	35-45	25-35	30-40	30-40

(ग) हांगकांग

क्र.सं.	विवरण	यूनिट	2010-11	2011-12	2012-13	जांच की अवधि
1	निवल बिक्री प्रापण	रुपए/मीटर	****	****	****	****
	अनुक्रमित	अनुक्रमित	100	120	128	133
2	आयातों का उतराई मूल्य	रुपए/मीटर	180	275	224	223
	अनुक्रमित	अनुक्रमित	100	152	125	124
3	कीमत अधोरदन	रुपए/मीटर	****	****	****	****
	अनुक्रमित	अनुक्रमित	100	44	136	155
4	कीमत अधोरदन	% एनएसआर	****	****	****	****
		रेंज	20-30	10-20	30-40	30-40

41. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग का निवल बिक्री प्रापण दोनों देशों के आयातों के उतराई मूल्य, अलग-अलग रूप से और सामूहिक रूप से अधिक है।

कीमत अधोविक्रयण

42. कीमत अधोविक्रयण का आकलन आयातों के उतराई मूल्य की तुलना जांच की अवधि के लिए घरेलू उद्योग की गैर-क्षतिकारी कीमत से करके किया गया है। यह देखा जाता है कि आयातों का उतराई मूल्य घरेलू उद्योग की गैर-क्षतिकारी कीमत से बहुत कम है, जैसाकि अधोलिखित तालिका में दर्शाया गया है :

विवरण	मापन की इकाई	चीन	हांगकांग
घरेलू उद्योग की गैर-क्षतिकारी कीमत	रुपए/मीटर	****	****
उतराई मूल्य	रुपए/मीटर	216	223
कीमत अधोविक्रयण	रुपए/मीटर	****	****
कीमत अधोविक्रयण	%	****	****
कीमत अधोविक्रयण	रेंज	10-20	10-20

43. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि उतराई मूल्य न केवल निवल बिक्री प्रापण बल्कि गैर-क्षतिकारी कीमत से भी कम है।

ख) कीमत निग्रहण और अवमंदन

44. घरेलू कीमतों पर पाटित आयातों के कीमत निग्रहण एवं कीमत अवमंदन प्रभाव की जांच करने के लिए घरेलू उद्योग के निवल बिक्री प्रापण की प्रवृत्ति की तुलना बिक्री लागत से की गई है। अधोलिखित आंकड़े बिक्री लागत से तुलना करने पर आयातों की उतराई कीमत के न्यून स्तर को दर्शाते हैं।

क्र.सं.	विवरण	यूनिट	2010-11	2011-12	2012-13	जांच की अवधि
1	उतराई मूल्य	रुपए/मीटर	156	213	205	217
	अनुक्रमित		100	137	131	139
2	ब्रिकी लागत	रुपए/मीटर	****	****	****	****
	अनुक्रमित		100	117	124	133
3	निवल बिक्री कीमत	रुपए/मीटर	****	****	****	****
	अनुक्रमित		100	120	128	133

45. यह देखा जाता है कि आयातों की उतराई कीमत क्षति अवधि तथा जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री लागत तथा बिक्री कीमत से वास्तव में कम है।

घरेलू उद्योग पर आर्थिक पैरामीटरों का प्रभाव

46. पाटनरोधी नियमावली के अनुलग्नक-II में यह अपेक्षा की जाती है कि क्षति का निर्धारण करने में इन उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की उद्देश्यपरक जांच अंतर्ग्रस्त होगी। इन उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में, पाटनरोधी नियमावली में आगे यह प्रावधान किया गया है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में उन सभी संगत कारकों और अभिसूचकों की उद्देश्यपूर्ण एवं पक्षपात रहित जांच शामिल होगी जिनका उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है जिनमें शामिल हैं बिक्री, लाभ, आउटपुट, बाजार हिस्सा, उत्पादकता, निवेश पर प्रतिलाभ अथवा क्षमता उपयोग में वास्तविक एवं संभावित गिरावट; घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक, पाटन के मार्जिन की मात्रा, नकदी प्रवाह, मालसूची, रोजगार, वेतन, वृद्धि, पूंजी निवेश उगाहने की क्षमता पर वास्तविक एवं संभावित ऋणात्मक प्रभाव।

47. घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न पैरामीटरों के संबंध में चर्चा निम्नलिखित की गई है :

क) क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री

48. घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री मात्रा से संबंधित सूचना निम्नवत है :

विवरण	**यूनिट**	**2010-11**	**2011-12**	**2012-13**	**जांच की अवधि**	**2013-14**
संस्थापित क्षमता (प्रसंस्करण)	लाख मीटर	101	101	101	101	101
प्रवृत्ति		100	100	100	100	100
उत्पादन	लाख मीटर	66	61	67	73	86
प्रवृत्ति		100	93	102	111	130
क्षमता उपयोग	%	65.49	60.62	66.78	72.74	84.78
प्रवृत्ति		100	93	102	111	130
घरेलू बिक्री की मात्रा	लाख मीटर	58	63	70	71	75
प्रवृत्ति		100	109	122	124	129

49. घरेलू उद्योग ने प्रस्तुतिकरण किया है कि उसके पास 101 लाख मीटर की उत्पादन प्रसंस्करण क्षमता है। तथापि, यह अपनी क्षमताओं का उपयोग केवल 73 लाख मीटर के लिए ही कर सका। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संबंधित उत्पाद का उत्पादन करने के लिए प्रसंस्करण क्षमता में कोई खास परिवर्तन नहीं आया है और संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान यह स्थिर बनी रही। तथापि, क्षति अवधि में उत्पवादन और बिक्री में वृद्धि हुई है। इसलिए, क्षति अवधि में क्षमता उपयोग में सुधार हुआ है।

सेगमेंट विश्लेषण

50. घरेलू उद्योग ने संबद्ध देशों से पाटन के विभिन्न उपभोक्ता सेगमेंटों पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करने के लिए जांच की अवधि के दौरान बीजकवार कुल बिक्री लिस्टिंग का विश्लेषण किया है। घरेलू उद्योग ने अपने उपभोक्ताओं का विभिन्न सेगमेंटों जैसे खुदरा, थोक बिक्री, आरएमजी (सिलेसिलाए परिधान), घरेलू आरएमजी निर्यात, निर्यात एफआर/औद्योगिक तथा अन्यों में पृथक्करण एवं समूहन किया है। घरेलू उद्योग ने यह विचार किया कि इनमें से प्रत्येक बाजार सेगमेंट अपनी एक डायनामिक बाजार का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए, घरेलू उद्योग ने निर्दिष्ट प्राधिकारी से यह अनुरोध किया है कि वह प्रतिस्पर्धी सेगमेंट्स पर भी पाटन के प्रभाव पर विचार करे। यह भी उल्लेख किया जाता है कि प्राधिकारी ने भी मूल जांच के दौरान समान समूहन पर विचार किया था। ग्राहक सेगमेंटवार बिक्री मात्रा से संबंधित सूचना निम्नलिखित है :

	अवधि के दौरान बिक्री ('000 मीटर से)	**2010-11**	**2011-12**	**2012-13**	**जांच की अवधि**	**टिप्पणियां**
(क)	निजी खुदरा श्रृंखला	****	****	****	****	कोई प्रतिस्पर्धा नहीं
	प्रवृत्ति	100	145	147	165	
(ख)	थोक बिक्रेता/व्यापारी	****	****	****	****	न्यून प्रतिस्पर्धा
	प्रवृत्ति	100	138	171	196	

(ग)	अंतिम उपभोक्ता घरेलू	****	****	****	****	प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा
	प्रवृत्ति	100	108	127	119	
(घ)	अंतिम उपभोक्ता निर्यात	***	***	***	***	प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा
	प्रवृत्ति	100	66	79	49	
(ड.)	अग्नि अवरोधक	***	***	***	***	प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा
	प्रवृत्ति	100	81	52	34	
(च)	औद्योगिक	****	****	****	****	प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा
	प्रवृत्ति	100	118	91	158	
(छ)	विविध	****	****	****	****	कोई प्रतिस्पर्धा नहीं
	प्रवृत्ति	100	66	70	80	
(ज)	कुल घरेलू बाजार	****	****	****	****	
	प्रवृत्ति	100	109	122	123	
(झ)	निर्यात	****	****	****	****	कोई प्रतिस्पर्धा नहीं
	प्रवृत्ति	100	69	63	58	
(ञ)	**कंपनी के लिए कुल**	**6,086**	**6,505**	**7,230**	**7,304**	
	प्रवृत्ति	100	107	119	120	
(ट)	कुल प्रतिस्पर्धी सेगमेंट [(ग),(घ),(ड.)(च)]*	****	****	****	****	
	प्रवृत्ति	100	95	103	91	
(ठ)	प्रतिस्पर्धी सेगमेंट में बिक्री का हिस्सा	62%	53%	51%	44%	

** इसमें थोक विक्रेता/व्यापारी शामिल नहीं है (न्यून प्रतिस्पर्धा)*

51. घरेलू उद्योग ने पुन: यह उल्लेख किया है कि यद्यपि घरेलू उद्योग की समग्र बिक्री में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है, तथापि प्रतिस्पर्धाकारी सेगमटों में इसकी बिक्री में वर्ष 2011-12 और जांच की अवधि में गिरावट आई है। प्रतिस्पर्धाकारी सेगमेंटों में जांच की अवधि में बिक्रियां न केवल विगत वर्ष की तुलना में कम थी बरन आधार वर्ष की तुलना में भी कम थी। तथापि, यदि थोक बिक्री/व्यापारियों की मात्रा पर भी विचार किया गया होता तो इस स्थिति में भारी सुधार हुआ होता। इसके अतिरिक्त, थोक विक्रेताओं/व्यापारियों को अक्सर व्याप्त प्रतिस्पर्धी दरों के बारे में अच्छी तरह से जानकारी होती है क्योंकि वे भारी मात्रा में लेनदेन करते हैं। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यह सेगमेंट विश्लेषण केवल एक ही कंपनी के आंकड़ों पर आधारित है जिसका कुल बाजार के लगभग 30 प्रतिशत कब्जा है।

52. निम्नलिखित विश्लेषण पुन: यह व्यक्त करता है कि प्रतिस्पर्धाकारी सेगमेंटों में निवल बिक्री प्रापण गैर-प्रतिस्पर्धाकारी सेगमेंटों में निवल बिक्री प्रापण की तुलना में बहुत कम है। इसलिए, घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि जांच की अवधि के

दौरान उत्पाद लागत में *** रुपए प्रति मीटर की वृद्धि होने के बावजूद प्रतिस्पर्धाकारी सेगमेंट में बिक्री कीमत में तुलनीय वृद्धि नहीं हुई जिसमें इस अवधि के दौरान केवल *** रुपए प्रति मीटर की ही वृद्धि हुई जिसका विवरण अधोलिखित है :

अवधि		**2010-11**	**2011-12**	**2012-13**	**जांच की अवधि**
कुल घरेलू बाजार	रुपए/मीटर	****	****	****	****
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	120	128	133
प्रतिस्पर्धी सेगमेंट की बिक्री कीमत	रुपए/मीटर	****	****	****	****
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	114	118	119
गैर-क्षतिकारी कीमत	रुपए/मीटर				***
आयातों की उतराई कीमत	रुपए/मीटर	156	213	205	217
उत्पादन लागत	रुपए/मीटर	****	****	****	****
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	117	124	133
लाभ/हानि प्रतिस्पर्धाकारी सेगमेंट		****	****	****	(****)
प्रवृत्ति		100	72	39	-56
अधोलिखित में वृद्धि :					
आयातों की उतराई कीमत	रुपए/मीटर		****	(****)	****
प्रवृत्ति	अनुक्रमित		100	-14	21
प्रतिस्पर्धीकारी सेगमेंट की बिक्री कीमत	रुपए/मीटर		****	****	****
प्रवृत्ति	अनुक्रमित		100	29	12
उत्पादन लागत	रुपए/मीटर		****	****	****
प्रवृत्ति	अनुक्रमित		100	42	55

53. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि किसी भी उत्पाद की कीमत कई कारकों पर निर्भर करती है जिनमें इसकी गुणवत्ता, फिनिशिंग और आर्डर की मात्रा (परिमाण) शामिल है। तथापि, यह भी नोट किया जाता है कि जहां कहीं प्रतिस्पर्धा होती है वहां कीमतें न्यून लाभ मार्जिन के साथ सामान्यत: कम ही होती है।

ख) घरेलू उद्योग की लाभप्रदता

54. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता की जांच निम्नवत की गई है :

विवरण	**यूनिट**	**2010-11**	**2011-12**	**2012-13**	**जांच की अवधि**
बिक्री लागत	रुपए/मीटर	****	****	****	****
प्रवृत्ति		100	116	124	133

बिक्री कीमत	रुपए/मीटर	****	****	****	****
प्रवृत्ति		100	120	128	134
लाभ/हानि	रुपए/मीटर	****	****	****	****
प्रवृत्ति		100	148	163	140

55. अधोलिखित तालिका से यह देखा जा सकता है कि इस विचाराधीन उत्पाद का समग्र नकद लाभ जो आधार वर्ष 2010-11 में *** लाख रुपए था बढ़कर जाचं की अवधि में *** लाख रुपए हो गया। इसलिए, निवेश की गई पूंजी पर प्रतिलाभ ने भी समान प्रवृत्ति का अनुसरण किया और यह वर्ष 2010-11 के दौरान *** से बढ़कर जांच की अवधि में *** हो गया जिसका विवरण निम्नलिखित है :

विवरण	**यूनिट**	**2010-11**	**2011-12**	**2012-13**	**जांच की अवधि**	**2013-14**
ब्याज एवं कर पूर्व लाभ (पीबीआईटी)	लाख रुपए	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	164	179	164	236
ब्याज	लाख रुपए	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	179	80	115	147
लाभ/हानि	लाख रुपए	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	161	198	174	253
मूल्यह्रास	लाख रुपए	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	116	122	125	145
नकद लाभ	लाख रुपए	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	150	180	162	228
एनएफए आधार पर नियोजित पूंजी	लाख रुपए	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	87	79	94	127
नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ	%	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	188	227	177	186

रोजगार एवं वेतन

56. घरेलू उद्योग के रोजगार स्तर और वेतन की स्थिति निम्नवत है :

क्र. सं.	विवरण	यूनिट	2010-11	2011-12	2012-13	जांच की अवधि
1	कर्मचारी	संख्या	****	****	****	****
	प्रवृत्ति	अनुक्रमित	*100*	*112*	*117*	*132*
2	वेतन	लाख रुपए	****	****	****	****
	प्रवृत्ति	अनुक्रमित	*100*	*172*	*218*	*244*

57. यह नोट किया जाता है कि रोजगार स्तर एवं वेतन में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।

(ग) उत्पादकता

58. घरेलू उद्योग की उत्पादकता की स्थिति निम्नलिखित तालिका में दी गई है।

विवरण	यूनिट	2010-11	2011-12	2012-13	जांच की अवधि
उत्पादकता प्रतिदिन	मीटर	18,897	17,494	19,271	20,991
प्रवृत्ति	इंडेक्स	100	93	102	111

59. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि क्षति अवधि में उत्पादकता में वृद्धि हुई है।

घ) मालसूची

60. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के मालसूची स्तर की जांच की है जिसे अधोलिखित तालिका में दिया गया है :

विवरण	यूनिट	2010-11	2011-12	2012-13	जांच की अवधि
औसत स्टॉक	लाख मीटर	15	16	12	13
	इंडेक्स	100	106	80	82

61. उपर्युक्त तालिका से यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग के मालसूची स्तर में गिरावट आई है।

(ड.) पाटन का विस्तार

62. पाटन का विस्तार, उस सीमा के संकेतक के रूप में जिस सीमा तक पाटित आयात घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा सकते हैं, दर्शाता है कि प्राधिकारी द्वारा जांच की अवधि में संबद्ध देशों के विरुद्ध निर्धारित पाटन मार्जिन न्यूनतम से अधिक तथा बहुत अधिक है।

च. पूंजी निवेश उगाहने की क्षमता

63. इस संबंध में प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के पास पूंजी निवेश उगाहने की पर्याप्त क्षमता है।

64. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यद्यपि घरेलू उद्योग ने कई पैरामीटरों में सुधार प्रदर्शित किया है फिर भी यह महसूस किया जाता है कि यह पाटित आयातों की सतत मौजूदी के कारण सुधार के इष्टतम स्तर को प्राप्त नहीं कर पाया है।

(छ) घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

65. संबद्ध देशों तथा अन्य देशों से आयात कीमतों की जांच, लागत ढांचे में परिवर्तन, घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धा, पाटित आयातों के अलावा वे अन्य कारक जो घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित कर सकते हैं, की जांच यह दर्शाती है कि पाटनरोधी शुल्क के बिना संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तु का उतराई मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और गैर-क्षतिकारी कीमत से कम था, जिससे भारतीय बाजार में भारी कीमत अधोरदन और कीमत अधोविक्रयण हुआ।

अन्य ज्ञात कारक एवं कारणात्मक संबंध

66. प्राधिकारी ने यह भी जांच की है कि क्या अन्य ज्ञात कारकों से घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाई जा सकती है, जो निम्नवत है :—

(क) मांग में संकुचन और/या खपत के प्रतिमान में परिवर्तन

इस विचाराधीन उत्पाद के संबंध में खपत के प्रतिमान में ऐसा कोई वास्तविक परिवर्तन नहीं आया है जो इस विचाराधीन उत्पाद के विपरीत से स्पष्टत: सिद्ध हो जाता है। इसलिए, खपत के प्रतिमान में परिवर्तन ने घरेलू उद्योग को क्षति कारित नहीं की है।

(ख) विदेशी एवं घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा और व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रक्रियाएं

ऐसी कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रक्रिया नहीं है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति में योगदान दिया हो।

(ग) प्रौद्योगिकी में विकास

प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इस उत्पाद अथवा इसके विनिर्माण के संबंध में प्रौद्योगिकी में किसी ऐसे विकास के साक्ष्य नहीं हैं जिसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति पहुंच सकती हो।

(घ) निर्यात निष्पादन

याचिकाकर्ता ने इस विचाराधीन उत्पाद का तृतीय देशों को निर्यात किया है। तथापि, घरेलू उद्योग को दावाकृत क्षति घरेलू प्रचालनों के कारण हुई है। याचिकाकर्ता ने घरेलू बिक्रियों के लिए लागत निर्धारण एवं क्षति से संबंधित सूचना अलग से प्रदान की है। इसलिए, घरेलू उद्योग को दावाकृत क्षति निर्यातों पर उपरोपित नहीं की जा सकती है।

(ड.) अन्य उत्पादों का निष्पादन

घरेलू उद्योग को दावाकृत क्षति अन्य उत्पादों के निष्पादन के परिणामस्वरूप नहीं हुई है। याचिकाकर्ता ने जो सूचना प्रदान कराई है वह केवल इस विचाराधीन उत्पाद से संबंधित है। अत:, इस विचाराधीन उत्पाद से संबंधित प्रदत्त वित्तीय सूचना स्पष्टत: घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और बिक्रीकृत समान वस्तु के संबंध में घरेलू उद्योग की स्थिति दर्शाती है।

67. प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि यद्यपि ऊपर सूचीबद्ध किए गए अन्य ज्ञात कारकों ने, ऐसा प्रतीत होता है कि निर्धारित क्षति कारित नहीं की है, तथापि निम्नलिखित पैरामीटर दर्शाते हैं कि पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग को पाटित आयातों द्वारा क्षति पहुंचाए जाने की पूर्ण संभावना है।

(i) संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों की मात्रा बहुत अधिक हैं।

(ii) संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयात घरेलू उद्योग की कीमतों का अधोरदन कर रहे हैं।

(iii) उपभोक्तागणों का झुकाव यदि आयातित उत्पाद की ओर हो रहा है तो इसका आशय यह हुआ कि घरेलू उद्योग के उत्पाद की मांग में गिरावट आ रही है और पाटित उत्पाद की मांग में वृद्धि हो रही है।

(iv) संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों पर प्रभावी पाटनरोधी शुल्क की मौजदूगी के बावजूद इस स्रोत से पाटित आयातों की भारी मात्रा लगातार आ रही है। इससे यह संकेत मिलता है कि यदि इस साधन को समाप्त कर दिए जाने की अनुमति दी गई तो पाटन में तीव्रता आएगी और घरेलू उद्योग को अधिक क्षति कारित होगी।

(v) पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में संबद्ध देश के निर्यातक, उनकी उच्च उत्पादन क्षमताओं तथा न्यून निर्यात कीमत के कारण, बाजार पर और अधिक आधिपत्य जमा लेंगे।

क्षति एवं कारणात्मकता संबंधी निष्कर्ष

68. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क प्रभावी होने के पश्चात भी संबद्ध देशों से पाटित आयातों की मात्रा बहुत अधिक बनी रही। घरेलू उद्योग के निष्पादन में विभिन्न पैरामीटरों के कारण सुधार हुआ। तथापि, घरेलू उद्योग ने यह अभिवचन करता है कि उसकी स्थिति में उस स्तर तक सुधार नहीं आया जो देश में इस उत्पाद का पाटन न होने की स्थिति में प्राप्त कर लिया गया होता। प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के पाटन के कारण क्षतित हुई है।

झ. पाटन एवं क्षति की निरंतरता/पुनरावृत्ति की संभावना

घरेलू उद्योग के प्रस्तुतिकरण

69. पाटन एवं क्षति की निरंतरता/पुनरावृत्ति की संभावना के संबंध में घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित प्रस्तुतिकरण किए है :

(i) संबद्ध देशों से इस विचाराधीन उत्पाद का सतत पाटन हुआ है। यदि मौजूदा पाटनरोधी शुल्क का प्रतिसंहरण कर दिया जाता है तो संबद्ध देशों से इस पाटन के और भी अधिक तीव्र होने की संभावना है।

(ii) यद्यपि घरेलू उद्योग के निष्पादन ने कुछ सुधार दर्शाया है तथापि, यह सुधार इस विचाराधीन उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित होने के कारण हुआ है। पाटनरोधी शुल्क को वापस ले लिए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग को और अधिक क्षति होगी।

(iii) पिछली जांचों तथा वर्तमान जांच में निर्धारित पाटन मार्जिन बहुत अधिक है और यह स्पष्टत: दर्शाता है कि यदि पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है तो उससे पाटन होने और उसके परिणामस्वरूप क्षति होने की संभावना बढ़ जाती है।

(iv) संबद्ध विदेशी उत्पादकों के पास भारी बेशी क्षमताएं हैं। मौजूदा शुल्क को समाप्त कर देने से संबद्ध देशों से पाटन पुन: होने लगेगा और अंतत: वह घरेलू उद्योग को क्षति कारित करेगा।

(v) संबद्ध देशों में बहुलता से उत्पादक इस विचाराधीन उत्पाद की अपनी घरेलू बाजार में बिक्री करने के बजाय निर्यात करते हैं। इससे यह स्पष्टत: सिद्ध होता है कि संबद्ध देशों के विनिर्माता निर्यात उन्मुखी हैं।

(vi) भारतीय बाजार अत्यधिक कीमत संवेदी होने के कारण पाटन की पूर्ण संभावना है।

(vii) संबद्ध देशों से आयात भारी अधोरदन कारित कर रहा हैं जो यह दर्शाता है कि पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर देने से कीमत अधोरदन और भी अधिक हो जाएगा।

(viii) इसी संभावना के एक या दो पैरामीटर भी संतुष्ट होने पर शुल्क को लागू रखा जाना चाहिए।

प्राधिकारी द्वारा जांच

70. वर्तमान जांच चीन जन.गण. और हांगकांग से फ्लेक्स फेब्रिक के आयातों पर पहले से अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा है। नियमों के अंतर्गत प्राधिकारी को यह निर्धारित करना अपेक्षित होता है कि क्या पाटनरोधी शुल्क का सतत अधिरोपण करना अधिपत्रित है। इसमें इस तथ्य पर भी विचार करना अपेक्षित होता है कि क्या अधिरोपित शुल्क क्षतिकारी पाटन का उपशमन करने के आशयित प्रयोजन को पूरा कर रहा है। इस मामले में, चूंकि पाटित आयात निरंतर बने हुए हैं, इसलिए प्राधिकारी को यह जांच करना अपेक्षित है कि क्या पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर देने से इस उत्पाद के सतत पाटन की संभावना बनी रहेगी। संबद्ध देशों के निर्यातक और उत्पादक संबद्ध वस्तु का पाटित कीमतों पर निर्यात कर रहे हैं। पिछली जांच में भी पाटन मार्जिन बहुत अधिक था। ऐसी स्थिति में, प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि यदि मौजूदा शुल्क का प्रतिसंहरण कर दिया जाता है तो पाटन में तीव्रता नहीं आएगी।

71. यह एक तथ्य है कि पाटनरोधी शुल्क प्रभावी होने के बावजूद संबद्ध देश भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तु का अभी भी पाटन कर सकते हैं। निम्नलिखित विश्लेषण यह दर्शाता है कि यदि पाटनरोधी शुल्क का प्रतिसंहरण कर लिया जाता है तो पाटन की निरंतरता बने रहने/तीव्रीकरण होने और घरेलू उद्योग को क्षति की पुनरावृत्ति होने की संभावना बनी रहेगी।

क) मौजूदा एवं विगत पाटन का स्तर

72. पाटन मार्जिन का स्तर मूल जांच और वर्तमान जांच दोनों ही जांचों में बहुत अधिक है। उसे अधोलिखित तालिका में दर्शाया गया है। अत्यधिक पाटन मार्जिन स्पष्टत: पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर देने की स्थिति में पाटन और उसके परिणामस्वरूप क्षति होने की संभावना को दर्शाता है।

वर्तमान जांच			
विवरण	**यूनिट**	**चीन**	**हांगकांग**
पाटन मार्जिन	यूएस डालर/मीटर	****	****
पाटन मार्जिन	आईएनआर	****	****
पाटन मार्जिन	%	****	****
पाटन मार्जिन	रेंज	30-40	20-30
मूल जांच			
विवरण	**यूनिट**	**चीन**	**हांगकांग**
पाटन मार्जिन	यूएस डालर/मीटर	****	****
पाटन मार्जिन	रुपए	****	****
पाटन मार्जिन	%	****	****
पाटन मार्जिन	रेंज	200-250	100-150

(ख) इस उपाय के न होने पर कीमत अधोरदन, कीमत निग्रहण, कीमत अवमंदन

73. घरेलू उद्योग ने यह प्रस्तुतिकरण किया है कि वह कीमत जिस पर चीन जन.गण. और हांगकांग से संबद्ध वस्तु का भारत को निर्यात किया जा रहा है उस कीमत की संभावना का संकेतक है जिस पर पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर देने की स्थिति में संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु का निर्यात किया जाएगा । इसने यह भी अभिवचन दिया है कि यद्यपि एनएसआर – पाटित आयातों के उतराई मूल्य से अधिक है कीमत अधोरदन ने बिक्री मूल्य को, खासकर प्रतिस्पर्धाकारी सेगमेंट में, कम कर दिया है। इसलिए, पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर देने से भारतीय उपभोक्ताओं द्वारा संवर्धित आयात किए जाने की भारी संभावना है। निर्यातक भी भारतीय बाजार में अपने उत्पादन का सरणीकरण करने को प्रोत्साहित होंगे क्योंकि उनके पास अत्यधिक क्षमताएं हैं और वे अपने उत्पाद की बिक्री तुलनात्मक रूप से न्यूनतर कीमतों पर कर रहे हैं।

(ग) बेशी क्षमताएं और विदेशी उत्पादकों की निर्यात उन्मुखता

74. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई रिकार्ड में उपलब्ध सूचना के अनुसार चीन के उत्पादकों की उत्पादन क्षमता बहुत अधिक है और उनकी निर्यात उन्मुखता बहुत उच्च है। घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान कराई गई सूचना यह दर्शाती है कि विभिन्न उत्पादकों की क्षमता बहुत अधिक है जिसका विवरण निम्नलिखित है :-

संबद्ध देशों में ज्ञात निर्यातकों की निर्यात उन्मुखता

क्र.सं.	नाम	क्षमता मीटर/ वर्ष	निर्यात प्रतिशत - %
1.	चांग्सु लिफेंग लिनेन एंड काटन वीविंग कंपनी लिमिटेड	20,00,000	51 - 60
2.	हुनान गोल्डन टेक्स कंपनी लिमिटेड	60,00,000	91- 100
3.	वुजिआंग होंग्जी टेक्सटाइल कंपनी लिमिटेड	12,00,000	31 - 40
4.	झुचेंग डेलियुआन टेक्सटाइल कंपनी लिमिटेड	21,94,560	21 - 30
5.	युइक्विंग रिलायबल इलेक्ट्रिक कंपनी लिमिटेड	52,00,000	91- 100

6.	शाओक्सिंग गुस्सो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी लिमिटेड	1,20,00,000	71- 80
7.	वुजिआंग टांगचाओ टेक्सटाइल कंपनी लिमिटेड	9,50,976	91 - 100
8.	हैनिंग युटेक्स कंपनी लिमिटेड	12,00,000	91- 100
9.	क्विंग्डाओ युझोऊ निट एंड टेक्सटाइल कंपनी लिमिटेड	60,000	91 - 100
10.	वुजिआंग माइशुन्डा सिल्क टेक्सटाइल कंपनी लिमिटेड	6,00,000	61 - 70
11.	शाओक्सिंग इन हैंड टेक्सटाइल कंपनी लिमिटेड	1,50,000	81- 90
	कुल ज्ञात क्षमता	3,15,55,536	

स्रोत : ऊपर अभिज्ञात कंपनियों के वेबसाइट पर किए गए दावों के आधार पर घरेलू उद्योग का प्रस्तुतिकरण

यद्यपि चीन के उत्पादकों ने सहयोग न करने को अधिमानता दी है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि उपलब्ध सूचना यह दर्शाती है कि चीन के उत्पादकों के पास भारी उत्पादन क्षमताएं हैं।

75. इसके अतिरिक्त, भारत में बढ़ती बाजार से यह संभावना है कि पाटनरोधी को समाप्त कर देने से पाटित कीमतों पर आयात तीव्र होगा और घरेलू उद्योग को क्षतिकारित करने वाली क्षतिकारी कीमत की पुनरावृत्ति होगी।

घरेलू उद्योग और संबद्ध देशों के बीच सेगमेंटवार तुलना

ड. भारतीय बाजार की कीमत आकर्षकता

76. घरेलू उद्योग का यह विचार है कि वह कीमत जिस पर संबद्ध वस्तु का आयात किया जा रहा है उस कीमत से बहुत कम है जिस पर घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तु की बिक्री की जा रही है। इसलिए, शुल्क को समाप्त कर दिए जाने के मामले में संबद्ध देशों के निर्यातक अपनी भारी उत्पादन क्षमता के मद्देनजर भारतीय बाजार में अपने उत्पाद का सारणीकरण करेंगे।

(च) घरेलू उद्योग का मौजूदा निष्पादन

77. घरेलू उद्योग का निष्पादन विश्लेषण यह दर्शाता है कि वर्ष 2010-11 में घरेलू उद्योग की बिक्री की लगभग 62 प्रतिशत बिक्री उन बाजारों में हुई थी जहां घरेलू उद्योग को चीन के उतपादकों के साथ प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। यह विश्लेषण पुन: यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग की प्रतिस्पर्धाकारी सेगमेंटों में बिक्री में हिस्सेदारी जो वर्ष 2011-12 के दौरान 62 प्रतिशत थी घटकर जांच की अवधि के दौरान 44 प्रतिशत रह गई। इसलिए, यदि पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है तो चीन के उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा अधिकाधिक पाटन किए जाने की संभावना है।

पाटन एवं क्षति की संभावना संबंधी निष्कर्ष

78. पाटनरोधी शुल्क प्रभावी होने के बावजूद संबद्ध देशों से आयातों के मौजूदा स्तर पर विचार करते हुए प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में पाटन तीव्र होने तथा घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति में वृद्धि होने की पूर्ण संभावना है। इसके अतिरिक्त, पुन: यह नोट किया जाता है कि आयात कीमत ने घरेलू कीमतों का अधोरदन किया और घरेलू कीमतों पर उसका भारी निग्रहणकारी प्रभाव रहा।

पाटन मार्जिन एवं पाटन का परिमाण

79. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की गैर-क्षतिकारी कीमत का निर्धारण घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत पर विचार करते हुए किया है। क्षति मार्जिन का निर्धारण करने के लिए घरेलू उद्योग की गैर-क्षतिकारी कीमत की तुलना संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों के उतराई मूल्य से की है। निर्धारित क्षति मार्जिन निम्नलिखित है :

विवरण	यूनिट	चीन	हांगकांग
गैर-क्षतिकारी कीमत	यूएस डालर/मीटर	****	****
उतराई	यूएस डालर/मीटर	3.80	3.92
क्षति मार्जिन	यूएस डालर/मीटर	****	****
क्षति मार्जिन	%	****	****
क्षति मार्जिन	रेंज	10-20	10-20

विनिमय दर = 56.90 रुपए/यूएस डालर

80. यह स्पष्ट है कि यथानिर्धारित क्षति मार्जिन का स्तर बहुत अधिक है।

ञ. भारतीय उद्योग का हित तथा अन्य मुद्दे

81. प्राधिकारी यह मानते हैं कि पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण भारत में इस उत्पाद के कीमत स्तर को प्रभावित कर सकता है। तथापि, पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने से भारतीय बाजार में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कम नहीं होगी। इसके विपरीत, पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण पाटन की प्रक्रियाओं द्वारा अर्जित अनुचित लाभ को दूर करेगा, घरेलू उद्योग में गिरावट को कम करेगा और उपभोक्ताओं को इस संबद्ध वस्तु के व्यापक विकल्प की उपलब्धता बनाए रखने में सहायता करेगा। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने से संबद्ध देशों से आयात किसी भी रूप में प्रतिबंधित नहीं होगा और इसलिए, अंतिम प्रयोक्ता को इस उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी। अंतिम प्रयोक्ता अभी भी आपूर्ति के दो या उससे अधिक स्रोत बनाए रख सकेंगे। सामान्यत: पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य पाटन की अनुचित व्यापार प्रक्रियाओं द्वारा घरेलू उद्योग को कारित क्षति का उपशमन करना है जिससे भारतीय बाजार में मुक्त एवं पक्षपात प्रतिस्पर्धा की ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सके जो देश के आम हित में हो।

ट. प्रकटन पश्चात् विवरण प्रस्तुतिकरण

82. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग तथा चीन एवं हांगकांग के राजदूतावास को प्रकटन विवरण प्रेषित किया गया था। किसी भी अन्य हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच में सहभागिता नहीं की। घरेलू उद्योग तथा हांगकांग के व्यापार एवं उद्योग विभाग द्वारा निम्नलिखित टिप्पणियां दायर की गई है, जिन्हें प्राधिकारी द्वारा प्रासंगिक माना गया है।

I. घरेलू उद्योग के विचार

(क) विदेशी उत्पादकों ने वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच में न तो सहयोग किया है और न ही उन्होंने इसमें प्रतिभागिता की है और इसलिए निर्दिष्ट प्राधिकारी सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के आधार पर कार्रवाई करने के लिए पूर्णतया न्यायसंगत हैं।

(ख) पाटनरोधी शुल्क प्रभावी होने के बावजूद संबद्ध निर्यातकों की भारतीय बाजार में भारी हिस्सेदारी है। संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयात की मात्रा बहुत अधिक है।

(ग) संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु का आयात घरेलू उद्योग की कीमतों का अधोरदन कर रहा है।

(घ) उपभोक्ताओं का रूझान आयातित उत्पाद की ओर हो रहा है, इसका आशय यह है कि भारतीय उद्योग के उत्पाद की मांग घट रही है और पाटित उत्पाद की मांग बढ़ रही है।

(ङ) संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों पर प्रभावी पाटनरोधी शुल्क की मौजूदगी के बावजूद इन स्रोतों से पाटित आयातों की भारी मात्रा में आना जारी रही। इससे संकेत मिलता है कि यदि इस साधन को समाप्त कर दिए जाने की अनुमति दे दी जाती है तो पाटन तीव्र हो जाएगा और घरेलू उद्योग को अधिक क्षति पहुंचाएगा।

(च) पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में संबद्ध देश के निर्यातक अपनी उच्च उत्पादन क्षमता और न्यून निर्यात कीमत के बल पर भारतीय बाजार पर आधिपत्य कर लेंगे ।

(छ) पाटनरोधी शुल्क लगे होने के बावजूद संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयात भारी मात्रा में और पाटित कीमतों पर हो जारी रहे हैं।

(ज) पाटित कीमतों पर यह सतत आयात पाटनरोधी शुल्क के स्वरूप के कारण हो रहे हैं। यद्यपि उत्पादन लागत बढ़ गई है फिर भी बेंचमार्क यथावत बना रहा जिससे विचाराधीन उत्पाद का सतत आयात अग्रणी हुआ।

(झ) आयातों की उतराई कीमत पाटनरोधी शुल्क की बेंचमार्क कीमत से अधिक थी।

(ञ) पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित होने के बावजूद संबद्ध देशों से पाटित आयातों की मात्रा में भारी वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग के कार्यनिष्पादन में विभिन्न पैरामीटरों के कारण सुधार हुआ है। तथापि, घरेलू उद्योग अपना सुधार उस स्तर तक नहीं कर सका जिसे वह उस स्थिति में प्राप्त कर लेता जब देश में इस उत्पाद का पाटन न हुआ होता। घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के पाटन के कारण क्षति हुई है।

(ट) क्षति मार्जिन के स्तर बहुत अधिक है।

(ठ) यह संभव है कि पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर देने से पाटित आयातों एवं क्षतिकारी कीमतों में वृद्धि होगी जिसके कारण घरेलू उद्योग को क्षति की पुनरावृत्ति होगी।

(ड) चीन के उत्पादकों ने असहयोग करने को अधिमानता दी है। प्रकटन विवरण दर्शाता है कि चीन के उत्पादकों के पास भारी उत्पादन क्षमता है।

(ढ) वह कीमत जिस पर चीन जन.गण. और हांगकांग द्वारा भारत को संबद्ध वस्तु का निर्यात किया जा रहा है उस कीमत की स्पष्ट संकेतक है जिस पर पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के निर्यात होने की संभावना है। यद्यपि एनएसआर पाटित आयातों की उतराई कीमत से अधिक है फिर भी कीमत अधोरदन होने से बिक्री मूल्य घटा है और वह भी विशेषकर प्रतिस्पर्धाकारी सेगमेंट में। अत:, पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर देने से भारतीय उपभोक्ताओं द्वारा अधिक आयात किए जाने की पूर्ण संभावना है। चूंकि निर्यातकों के पास भारी उत्पादन क्षमता है इसलिए वे भारतीय बाजार में अपने उत्पाद का सरणीकरण करने को प्रोत्साहित होंगे और वे अपना उत्पाद तुलनात्मक रूप से कम कीमत पर बेच रहे हैं।

(ण) पाटन मार्जिन का स्तर मूल्य जांच में और वर्तमान जांच, दोनों में बहुत अधिक रहा है। यह भारी मात्रा में पाटन मार्जिन स्पष्टत: यह दर्शाता है कि पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में पाटन एवं परिणामी क्षति में वृद्धि होने की पूर्ण संभावना है।

(त) संबद्ध विदेशी उत्पादकों के पास भारी उत्पादन क्षमता है। पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर देने से संबद्ध देशों से पाटन पुन: बढ़ जाएगा और इससे घरेलू उद्योग को क्षति होगी।

(थ) संबद्ध देशों के अधिकांश उत्पादक अपने उत्पाद की घरेलू बाजार में बिक्री करने के बजाय इस विचाराधीन उत्पाद का निर्यात कर रहे हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि संबद्ध देशों के विनिर्माता निर्यातोन्मुख है।

(द) निर्धारित की गई गैर-क्षतिकारी कीमत बहुत कम है। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने कई कारकों के कारण गैर-क्षतिकारी कीमत घटा दी है। घरेलू उद्योग यह निवेदन करता है कि प्राधिकारी को वास्तविक कच्चे माल और उपयोगी वस्तुओं की खपत पर विचार करना चाहिए। वर्षों तक कच्चे माल की खपत कई जटिल कारकों पर निर्भर रही है और यह घरेलू उद्योग की अनुकूलता का परिणाम नहीं है। वास्तव में, कच्चे माल और उपयोगी वस्तुओं के संबंध में इसकी कुशलता में कोई गिरावट नहीं आई है। वास्तविक उत्पादन की अनदेखी करना और गैर-क्षतिकारी कीमत का निर्धारण करने के लिए उत्पादन के किसी अन्य आधार को अपनाना उपयुक्त नहीं होगा। याचिकाकर्ता ने उत्पादन स्तर पर विचार करते हुए इस उत्पाद के निर्धारित व्ययों को भी प्रभारित किया है। यह व्यय कंपनी के लिए निर्धारित किए जा सकते हैं। यह व्यय इस विचाराधीन उत्पाद के लिए नियत नहीं है। इसलिए इन व्ययों को प्रासंगिक बनाना उपयुक्त नहीं होगा। नियोजित पूंजी का निर्धारण मौजूद अचल परिसंपत्तियों के मूल्य पर विचार करते हुए किया जाना चाहिए। निवल अचल परिसंपत्तियों को अपनाना अत्यधिक अनुचित होगा और वास्तव में, यह मानना बिल्कुल पक्षपात रहित नहीं होगा कि कुछ निवेश बहुत पुराने हैं और इसलिए निवल अचल परिसंपत्तियों निवेश के वास्तविक मूल्य का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं। वास्तव में, इस प्रयोजन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मूल्य

निवेश का वर्तमान मूल्य है अथवा विकल्प के रूप में निर्दिष्ट प्राधिकारी निवेश पर 30 प्रतिशत प्रतिलाभ की अनुमति दे सकते हैं। उपर्युक्त पर विचार करते हुए गैर-क्षतिकारी कीमत का पुनर्निर्धारित किया जा सकता है।

(ध) घरेलू उद्योग अपना उत्पादन और अपनी बिक्री अपनी क्षमता की सीमा तक बढ़ाने में सक्षम नहीं हो पाया और घरेलू उद्योग को उस सीमा तक क्षतिकारित की गई है।

(न) यद्यपि, घरेलू उद्योग की समग्र लाभप्रदता तर्कसंगत हो सकती है, परंतु वह घरेलू उद्योग की अपनी सारणी के जरिए बिक्री के कारण है। उन ग्राहकों के संबंध में, जो इस विचाराधीन उत्पाद का आयात कर रहे हैं, घरेलू उद्योग की लाभप्रदता प्रतिकूल है।

(प) घरेलू उद्योग की बिक्री में उन सेगमेंटों में गिरावट आई है जहां क्रेता उत्पाद का आयात कर रहे हैं।

(फ) पाटनरोधी शुल्क में नियत स्वरूप में संशोधन किए जाने की जरूरत है और यह शुल्क यूएस डालर के रूप में अभिव्यक्त किया जाना चाहिए।

II. वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, हांगकांग की टिप्पणियां

(क) वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, हांगकांग ने यह उल्लेख किया है कि "हांगकांग में मुक्त बाजार और अत्यधिक प्रतिस्पर्धी माहौल को देखते हुए, हांगकांग की कंपनियों को पाटन के किसी क्रियाकलाप में संलिप्त होने के लिए न तो कोई प्रोत्साहन मिलता है और न ही कोई सहायता। दिसम्बर, 2008 और मार्च 2009 में दायर हमारे पिछले अभ्यावेदनों में उल्लिखित प्रस्तुतिकरणों से हम अपना यह विचार बनाए हुए हैं कि हांगकांग से फ्लेक्स फेब्रिक्स के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करना न्यायोचित नहीं होगा। हम भारतीय प्राधिकारियों से यह अनुरोध करते हैं कि हांगकांग से फ्लेक्स फेब्रिक्स के आयातों पर अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर दिया जाना चाहिए।

प्राधिकारी द्वारा जांच

83. प्राधिकारी ने प्रकटन पश्चात् हितबद्ध पक्षकारों द्वारा की गई टिप्पणियों पर विचार किया है और निम्नलिखित का प्रतिपादन करते हैं :

(क) प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अधिकांश प्रस्तुतिकरण वर्तमान निर्धारण की पुष्टि करते हैं और वे पुनरावृत्तिक प्रवृत्ति के हैं । उनका प्रकटन विवरण में और वर्तमान जांच परिणाम में पहले ही समाधान कर दिया गया है। घरेलू उद्योग द्वारा किए गए कई प्रस्तुतिकरण प्रकटन विवरण में रिपोर्ट की गई संगत जांच की संपुष्टि में किए गए प्रस्तुतिकरण है।

(ख) जहां तक इस प्रस्तुतिकरण का संबंध है कि विदेशी उत्पादकों ने सहयोग नहीं किया है, प्राधिकारी ने वर्तमान जांच परिणाम सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के आधार पर यह विचार करते हुए दर्ज किए हैं कि किसी भी विदेशी उत्पादक के प्राधिकारी के साथ कोई सहयोग नहीं किया है।

(ग) जहां तक पाटित कीमतों पर सतत आयात होने आयातों से संभावित कीमत अधोरदन कारित किए जाने और पाटन मार्जिन एवं क्षति मार्जिन भारी सकारात्मक होने से संबंधित प्रस्तुतिकरण का संबंध है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जांच से यह प्रदर्शित हुआ है कि प्राधिकारी द्वारा सिद्ध किया गया पाटन मार्जिन, कीमत अधोरदन और क्षति मार्जिन बहुत अधिक है।

(घ) जहां तक शुल्क के स्वरूप के कारण पाटित कीमतों पर सतत आयात होने से संबंधित प्रस्तुतिकरण का संबंध है प्राधिकारी ने उस पर वर्तमान निर्धारण में समुचित रूप से विचार किया है और पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश संशोधित स्वरूप में की जा रही है।

(ङ) जहां तक प्रतिस्पर्धी सेगमेंट की बिक्री में कमी होने और इस उत्पाद का आयात करने वाले उपभोक्ताओं से घरेलू उद्योग को लाभ में न्यूनता होने का संबंध है, प्राधिकारी ने उसे नोट कर लिया है।

(च) जहां तक इस तर्क का संबंध है कि यद्यपि उत्पादन लागत में वृद्धि हुई है वहीं बेंचमार्क पूर्ववत ही बना रहा जिसके कारण आयातों की निरंतरता बनी रही, प्राधिकारी शुल्क के स्वरूप की सिफारिश करते समय उस पर विचार किया है।

(छ) जहां तक गैर-क्षतिकारी कीमत का निर्धारण करने के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण का संबंध है प्राधिकारी पुन: यह उल्लेख करते हैं कि गैर-क्षतिकारी कीमत का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली के अनुलग्नक-III के विभिन्न उपबंधों पर विचार करते हुए किया गया है।

(ज) जहां तक व्यापार एवं उद्योग विभाग, हांगकांग द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरणों का संबंध है, प्राधिकारी यह उपपादित करते हैं कि एडीडी शुल्कों की निरंतरता से संबंधित समीक्षा पाटन के विभिन्न संगत पैरामीटरों और सर्वोत्तम उपलब्ध तथ्यों के आधार पर परिणामी क्षति का मूल्यांकन करके पाटनरोधी नियमावली को ध्यान में रखते हुए किया गया है क्योंकि हांगकांग के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने इस जांच में न तो कोई सहभागिता की और न ही कोई प्रत्युत्तर दायर किया है।

ठ. अंतिम जांच परिणाम

84. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए तर्कों, प्रदान कराई गई सूचना और किए गए प्रस्तुतिकरणों और इस अंतिम जांच परिणाम में प्राधिकारी के समक्ष रिकार्ड किए गए उपलब्ध तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और पाटन तथा उसके परिणामस्वरूप क्षति की निरंतरता एवं पाटन एवं क्षति की निरंतरता/पुनरावृत्ति की संभावना की स्थिति के विश्लेषण के आधार पर प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि :

(i) संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु का निर्यात सामान्य मूल्य के कम कीमत पर किया गया जिसके परिणामस्वरूप पाटन हुआ।

(ii) यदि पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है तो बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों का अधोरदन होने की संभावना है, जिसके परिणामस्वरूप भारी कीमत निग्रहण/कीमत अवमंदन होगा। संबद्ध देशों के निर्यातकों के पास भारी क्षमता है और यदि पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है तो उससे आयातों में और अधिक वृद्धि होने की संभावना है। पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग के कार्यनिष्पादन में कमी आएगी।

(iii) संबद्ध देशों से इस विचाराधीन उत्पाद के आयातों के संबंध में पाटन मार्जिन एवं क्षति मार्जिन सकारात्मक है।

(iv) संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के निर्यात उत्पादन लागत, घरेलू उद्योग की गैर-क्षतिकारी कीमत एवं बिक्री लागत से कम कीमतों पर किए जा रहे हैं और यदि पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है तो उससे घरेलू उद्योग को क्षति होने की पूर्ण संभावना है।

ड. सिफारिशें

85. उपर्युक्त निष्कर्ष निकालने के पश्चात् प्राधिकारी का यह विचार है कि अधोलिखित तालिका में यथा विनिर्दिष्ट पाटनरोधी शुल्क का विस्तार किया जाना अपेक्षित है।

86. प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए न्यूनतर शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन के न्यूनतर के बराबर निर्णायक पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने की सिफारिश करते हैं जिससे कि घरेलू उद्योग की क्षति को दूर किया जा सके। तद्नुसार तदनुसार, संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के सभी आयातों पर केंद्रीय सरकार द्वारा निम्नलिखित तालिका में विनिर्दिष्ट राशि के अनुरूप पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण किए जाने की सिफारिश की जाती है :—

शुल्क तालिका

क्र.सं.	प्रशुल्क मद	वस्तु विवरण	उद्गम का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	निर्यातक	राशि	मापन की इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	5309	फ्लेक्स या लिनेन फेब्रिक (अधोलिखित नोट)	चीन जन.गण.	कोई	कोई	कोई	0.75	प्रति मीटर	यूएस डालर
2	5309	फ्लेक्स या लिनेन फेब्रिक (अधोलिखित नोट)	हांगकांग तथा उस देश के अलावा कोई अन्य जिस पर पाटनरोधी शुल्क लगा है	चीन जन.गण.	कोई	कोई	0.75	प्रति मीटर	यूएस डालर
3	5309	फ्लेक्स या लिनेन फेब्रिक (अधोलिखित नोट)	हांगकांग	कोई	कोई	कोई	0.63	प्रति मीटर	यूएस डालर
4	5309	फ्लेक्स या लिनेन फेब्रिक (अधोलिखित नोट)	चीन के अलावा कोई अन्य देश जिस पर पाटनरोधी शुल्क लगा है	हांगकांग	कोई	कोई	0.63	प्रति मीटर	यूएस डालर

नोट : विचाराधीन उत्पाद "50 प्रतिशत से अधिक फ्लेक्स अंतर्वस्तु युक्त फ्लेक्स या लिनेन फेब्रिक्स है"।

आगे की प्रक्रिया

87. केंद्रीय सरकार के इस जांच परिणाम से सृजित आदेशों के विरुद्ध सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम के अनुसार सीमाशुल्क, उत्पाद कर एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील दायर की जा सकती है।

88. यहां संस्तुत किए गए साधन की निरंतरता बनाए रखने, उसमें संशोधन करने अथवा उसे समाप्त करने की जरूरत की समय-समय पर अधिनियम और नियमावली के संगत प्रावधानों तथा समय-समय पर इस संबंध में जारी सार्वजनिक सूचनाओं के प्रावधानों के अनुरूप समीक्षा करेंगे। प्राधिकारी द्वारा ऐसी समीक्षा करने के लिए किसी भी अनुरोध पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक इस प्रयोजनार्थ निर्धारित समय सीमा के अनुरूप किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा अपील दायर नहीं की जाती है।

जे. के. दादू, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANT-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th June, 2015

FINAL FINDINGS

Subject: Sunset Review of investigation of anti-dumping duty imposed on the imports of "Flax Fabric" originating in or exported from China and Hong Kong.

No.15/30/2013-DGAD.—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Act) and the Rule 16 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Rules) thereof;

A. BACK GROUND OF THE CASE

1. Whereas, the original investigation concerning imports of the subject goods from China PR and Hong Kong was initiated by the Authority vide Notification No. 14/8/2008-DGAD dated 3rd October, 2008. The preliminary finding was issued by the Authority on 17/02/2009, recommending provisional anti-dumping duty on the imports of Flax Fabrics (hereinafter referred to as subject goods) originating or exported from China PR & Hong Kong (hereinafter referred to as subject countries). The provisional duties were imposed vide Customs Notification No. 30/2009-Customs dated 26th March, 2009. The Authority notified final findings vide Notification No. 14/08/2008-DGAD dated 1st October, 2009 recommending definitive anti-dumping duty on the imports of Flax Fabrics from the subject countries. The definitive anti-dumping duty was imposed on the subject goods vide Customs Notification No. 142/2009- Customs dated 21st December, 2009.

2. Whereas, M/s. Jaya Shree Textiles (A unit of Aditya Birla Nuvo Ltd.) (hereinafter referred to as the petitioner), filed a duly substantiated application before the Authority, in accordance with the Act and the Rules, alleging likelihood of continuation or recurrence of dumping of the subject goods, originating in or exported from the subject countries and consequent injury and likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury in the event of cessation of the antidumping duty. The applicant requested for review, continuation and enhancement of the anti dumping duties, imposed on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject countries.

3. And whereas, the Authority, on the basis of sufficient evidence submitted by the applicant, issued a public notice vide Notification No. 15/30/2013-DGAD dated 10th March, 2014 published in the Gazette of India, initiating the subject investigations in accordance with the Rules to determine the likelihood of continuation or recurrence of dumping and consequent injury to the domestic industry and the need for continuation of the anti-dumping duties imposed on the imports of the subject goods, originating in or exported from China PR and Hong Kong.

B. PROCEDURE

4. The procedure described below has been followed in this investigation:

i. The Authority issued a public notice dated 10th March, 2014, published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating sunset review anti-dumping investigation concerning imports of the subject goods, originating in or exported from the subject countries.

ii. The embassy of the subject countries in New Delhi were informed about the initiation of the investigations in accordance with Rule 6(2).

iii. The Authority forwarded a letter along with copy of the public notice to all the known exporters and other interested parties/industry associations (whose details were made available by the domestic industry) and gave them opportunity to make their views known in writing within the prescribed time limits in accordance with the anti-dumping rules.

iv. The Authority provided copies of the non-confidential version of the application to the known exporters and the embassy of the subject country in accordance with Rules 6(3) supra. A copy of the non-confidential version of

the application was also made available in the public file and provided to other interested parties, wherever requested.

v. The Authority forwarded a copy of the public notice to the following known manufacturers/exporters in China and Hong Kong (whose names and addresses were made available to the Authority) and gave them opportunity to make their views known in writing within forty days from the date of the letter in accordance with the Rules 6(2) & 6(4):

a. Yangxin Yuandong Textile Co., China PR

b. Changshu Tonghe Group Co. Ltd.

c. Hunan Huasheng Industrial & Trading Co. Ltd.

d. Mengyin Cotton Textile Co. Ltd.

e. Suzhou Zhenlong Textile Co. Ltd.

f. Harbin Chaolong Flax Co. Ltd.

g. Wujin Huanyu Textiles Co. Ltd.

h. Jiangsu Fanjia Flax Textile Mill Co.,

i. HK Zishun Int'l Industry Limited

j. Suzhou Nanya Group

k. Binfenzhuang Fabric Co. Ltd.

l. Qiqihar Zhongtian Textile Co. Ltd.

m. Huafang Ramie Textile Co Ltd.

n. Changshu Lifeng Linen & Cotton Weaving Co. Ltd.

o. Hunan Goldentex Co Ltd.

p. Wujiang Hongii Textile Co. Ltd.

q. Zhucheng Deliyuan Textile Co. Ltd.

r. Yueqing Reliable Electric Co Ltd.

s. Shaoxing In Hand Textile Co. Ltd.

t. Shaoxing Gucco Import and Export Co. Ltd.

u. Haining Yutex Co. Ltd.

v. Qingdao Yuzhou Knit and Textile Co. Ltd.

w. Wujiang Maishunda Silk Textile Co Ltd.

vi. None of the exporters filed questionnaire response to exporter's questionnaires, nor have they filed any other submissions.

vii. The Authority forwarded a copy of the public notice to the following known importers/consumers (whose names and addresses were made available to the authority by the applicants) of subject goods in India and advised them to make their views known in writing within forty days from the date of issue of the letter in accordance with the Rule 6(4):

a. K. Mohan Textiles, Bangalore, Karnataka

b. Prateek Apparels Pvt. Ltd., Karnataka

c. Ambattur Clothing Co. Ltd., Tamil Nadu

d. Aditya Birla Nuvo Ltd., Karnataka

e. Shahi Exports, Pvt. Ltd., Faridabad

f. Richa & Co., New Delhi

g. Leela Scottish, Chennai, Tamil Nadu

h. Colourplus Fashions Pvt. Ltd., Tamil Nadu

i. Mulberry Silk Limited, Karnataka

j. Indian Terrian Clothing Pvt. Ltd., Tamil Nadu

k. Orient Clothing Co. P. Ltd., Haryana

l. Mohan Clothing Co (P) Ltd., Haryana

m. Anish India Export, Haryana

n. Gokaldas Images, Karnataka

o. Prasam Exports, Maharashtra

p. Raymond Ltd. (Textile division), Mumbai

q. Chopda Associates, Mumbai

viii. No questionnaire response was received from any importer.

ix. The Period of Investigation (POI) for the purpose of the present review investigation is 1st October, 2012 to 30th September, 2013 (12 Months). The injury investigation period has however, been considered as the period from 1st April, 2010 to the end of the POI, i.e., 2010-11, 2011-12, 2012-13 and POI.

x. Exporters, producers, importers and other interested parties who have neither responded to the Authority nor supplied information relevant to this investigation have been treated as non-cooperating interested parties by the Authority.

xi. The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties as per Rule 6(7).

xii. The Authority has examined the information furnished by the domestic producers to the extent possible on the basis of guidelines laid down in Annexure III of the Rules to work out the cost of production and the non-injurious price of the subject goods in India so as to ascertain if anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.

xiii. The Authority provided opportunity to all interested parties to present their views orally in public hearing held on 15th October, 2014. Only petitioner domestic industry attended the public hearing, who was requested to file written submissions/rejoinders of the views expressed orally.

xiv. The submissions made by the interested parties during the course of this investigation have been examined and addressed in the present determination.

xv. Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to arrange details of imports of subject goods into India for the past three years, including the period of investigation, and the said information was obtained from the DGCI&S and has been adopted in this investigation.

xvi. On the spot verification of the information and data submitted by the domestic industry was carried out to the extent deemed necessary.

xvii. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined by the Authority with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed. Wherever possible, the interested parties were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.

xviii. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has recorded these essential facts on the basis of the 'facts available' and treated such parties as non-cooperative.

xix. *** in this Finding, represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.

xx. The exchange rate adopted for the POI is 1 US $ =Rs 56.90.

C. SCOPE OF PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

Submissions by the Domestic Industry

5. The following submissions have been made by the domestic industry:

i. The product under consideration is Flax Fabric having Flax content more than 50% originating in or exported from China and Hong Kong. It is normally classified under Chapter 53 of the Customs Tariff Act.

ii. "Flax" and "Linen" are synonyms and the word flax is also known as Linen and can be used to produce yarn and fabric made from flax fibres. It is often used as in generic term to describe a class of woven bed, bathtub, table and kitchen textiles because traditionally flax was widely used for towels, sheets etc. As per the previous final finding Woven fabric (having more than 50% flax contents) produced by the domestic industry and those being imported from the subject countries are like articles and is the product under consideration within the meaning of the rules. As the domestic industry is not making substantial production of the fabric having flax content of up to 50%, the Authority concluded the product under consideration to have flax content of more than 50%.

iii. The present investigation being a sunset review investigation of existing duties, the scope of the product under consideration remains the same as that of original investigations.

iv. The product under consideration is highly absorbent, heat regulating, anti allergic, anti static, anti bacterial & UV-protective fabric. It is comfortable and nice to wear in any season. It is insulating in winter and breathable in summer due to its thermo regulator properties.

v. Product under consideration is made from cellulosic plant called flax, grown in Northern European countries mainly in France and Belgium. These fibers are then converted to linen yarn through wet spinning process, which is unique to any other spinning process. This linen yarn is used as grey or dyed as required for weaving. After weaving it is processed and finished and sold in the market.

Submissions made by the producers/exporters/other interested parties

6. None of the other interested parties has responded or raised any issues with respect to the product under consideration and like article.

Examination by the Authority

7. The product under consideration as in the original investigation is Flax Fabric. As per the original investigation carried out by the Designated Authority the product has been defined as under:

"*The product under consideration is flax fabric originating in or exported from China PR and Hong Kong is normally classified under Chapter 53 of the Customs Tariff Act. "Flax" and "Linen" are synonyms and the word flax is also known as Linen and can be used as in generic term to describe a class of woven bed, bathtub, table and kitchen textiles because traditionally flax was widely used for towels, sheets etc. This product is classified under Customs Tariff Chapter 53 at subheading 53.09. The Custom classification is indicative only and not binding on the scope of investigation.*

Woven fabric (having more than 50% flax contents) produced by the domestic industry and those being imported from the subject countries are like articles and is the Product under Consideration within the meaning of the rules.

The Authority notes that as per the grade-wise production statement, the domestic industry has produced fabric having flax content of 30-50%. This is 0.62% of the total production. As the domestic industry is not making substantial production of fabric having flax content of up to 50%, the Authority has therefore concluded the product under consideration to have flax content of more than 50%".

8. Since the present investigation is a sunset review investigation and further since none of the interested parties has advanced any argument in respect of scope of the product under consideration or like article, the scope of the product under consideration and like article remains the same as in the original investigations.

D. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

Submissions made by the Domestic Industry

9. The Domestic Industry has made the following submissions with respect to the scope of domestic industry and standing:

i. The petition has been filed by M/s. Jaya Shree Textiles, a unit of Aditya Birla Nuvo Ltd. (Petitioner Company) who has provided necessary information for the preparation of present petition.

ii. The petitioner has imported the product under consideration from China PR during the period of investigation. However these imports are of negligible quantities.

iii. The petitioner is not related to any producer/exporter of the product under consideration in subject countries. However the petitioner is related to an importer of product under consideration who has imported negligible volumes.

iv. As per the established position of law, the Authority may, in its discretion, include a producer who is either related to the producer/exporter of the subject goods or imported the subject goods, within the scope of domestic industry. In the instant case, M/s. Jaya Shree Textiles and its group companies M/s. Madura Fashion & Lifestyle and Madura Garments Exports, have imported small quantities from China. The volume of imports made by the companies when compared with imports of the product under consideration in India, production of M/s. Jaya Shree Textile, Indian production and consumption of the product under consideration in India would show that the volume of imports by companies is quite low as compared to these parameters. Further, imports made by Madura Garment Exports are under duty exemption scheme. Petitioner imported the product to check the product and prices.

v. The company placed order on SAS Saneco, France to check its product & Chinese material. Therefore it is requested to the authority to consider M/s. Jaya Shree Textiles as eligible domestic industry.

vi. The production by the petitioner company constitutes a major proportion in Indian production. A number of producers of the product under consideration are supporting the petition. Therefore the petitioner satisfies the standing requirement under Rules to file the present petition and petitioner constitutes "domestic industry".

Submissions made by the producers/exporters/other interested parties

10. None of the other interested parties has responded or raised any issues with respect to the scope of the domestic industry and standing.

Examination by the Authority

11. The Authority notes that Rule 2(b) of the Anti-dumping Rules provides as follows:

"(b) "domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are relate to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term 'domestic industry' may be construed as referring to the rest of the producers".

12. The Authority notes that the application has been filed by M/s. Jaya Shree Textiles, a unit of Aditya Birla Nuvo Ltd. Petitioner has informed that there are a number of other producers of the product under consideration in India, namely, M.Mahendra kumar & Company, Donear Industries Limited, Muniraj Synthetics (India) Private Limited, Nirvana Silk Mills Private Limited, Balu Fabrics, Darshan Creation Private Limited, Mahindra Textile, Master Linens Inc, Govardhan Overseas Private Limited, V.P. Tex Private Limited, Vasanthi Fabrics, VSM Weaves India Limited, and VTM Limited who have supported the petition. M/s. Sachdeva Fabric World Pvt. Ltd., who were earlier considered in the list of Other Indian Producers, have informed that they did not produce fabric with flax content of 50% or more during POI. Therefore, they have been excluded from the total flax production and sales (both estimated) during the period. The production of the petitioner in the POI is now about 37% of the total Indian production and constitutes a major proportion because the other producers are dispersed and fragmented. In the original investigations also M/s. Jaya Shree Textiles was considered as domestic industry holding the share of about 39.22%. The petitioner has stated that M/s. Jaya Shree Textiles with its group companies M/s. Madura Fashion & Lifestyle and Madura Garments Exports Ltd. has imported small quantities from China. Imports made by the M/s. Jaya Shree Textiles along with its group companies M/s. Madura Fashion & Lifestyle and Madura Garments Exports constitute approx 3.31% of petitioner's production, 1% of Indian production, 4.93% of total imports from subject countries and 0.85% of demand in India during the period of investigation. Further, these imports are under duty exemption scheme of the Govt. of India. Considering low volume of imports the petitioner has been considered as eligible domestic industry within the meaning of the Rules. None of the interested parties have raised any argument against eligibility of the petitioner to constitute domestic industry within the meaning of the Rules. The revised statement of Indian production is as under:

	Particulars	Production (In Lac Mtrs)			
		2010-11	2011-12	2012-13	POI
1	Petitioner (A): Jayshree Textiles	66	61	67	74
2	Supporters (B)	54	52	67	75
3	Petitioner with Supporters (A+B)	120	113	134	149

4	Other Indian Producers (C)	36	39	46	49
	Total Indian Production (A+B+C)	156	152	180	198

	Particulars	Share in Total Indian Production			
1	Petitioner (A):Jayshree Textiles	42%	40%	38%	37%
2	Supporters (B)	35%	34%	37%	38%
3	Petitioner with Supporters(A+B)	77%	74%	75%	75%
4	Other Indian Producers (C)	23%	26%	25%	25%
	Total Indian Production (A+B+C)	100%	100%	100%	100%

13. The Authority after examining the information on record has determined that the petitioner company constitutes domestic industry within the meaning of Rule 2(b) and the petition satisfies the criteria of standing of Rule 5 of the Rules.

E. METHODOLOGY AND DETERMINATION OF NORMAL VALUE, EXPORT PRICE, DUMPING MARGIN AND MARKET ECONOMY TREATMENT

Market Economy Status:

14. The Authority advised the producers/exporters in China to respond to the notice of initiation and provide information relevant to determination of their market economy status. The Authority sent copies of the MET questionnaire to all the known exporters for rebutting presumption of non market economy in accordance with criteria laid down in para 8(3) of Annexure-I to the Rules. The Authority also requested Government of China to advise producers/exporters in their country to provide information. As per Paragraph 8, Annexure I to the Anti Dumping Rules as amended, the presumption of a non-market economy can be rebutted if the exporter(s) from China PR provide information and sufficient evidence on the basis of the criteria specified in sub paragraph (3) in Paragraph 8 and establish to the contrary. The exporter/ producer of the subject goods from China are required to furnish necessary information/sufficient evidence as mentioned in sub-paragraph (3) of paragraph 8 in response to the Market Economy Treatment questionnaire to enable the Designated Authority to consider the following criteria as to whether:-

i. The decisions of concerned firms in China PR regarding prices, costs and inputs, including raw materials, cost of technology and labor, output, sales and investment are made in response to market signals reflecting supply and demand and without significant State interference in this regard, and whether costs of major inputs substantially reflect market values;

ii. The production costs and financial situation of such firms are subject to significant distortions carried over from the former non-market economy system, in particular in relation to depreciation of assets, other write-offs, barter trade and payment via compensation of debts;

iii. Such firms are subject to bankruptcy and property laws which guarantee legal certainty and stability for the operation of the firms and

iv. The exchange rate conversions are carried out at the market rate.

None of the producer/exporter responded to the MET questionnaire sent by the Authority.

F. NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING MARGIN

Submissions by the domestic industry

15. Following are the submissions made by the domestic industry with regard to normal value, export and dumping margin:

i. None of the producers/ exporters from China PR and Hong Kong have responded to the exporters' questionnaire.

ii. The Chinese producers' cost and price cannot be relied upon for determination of normal value.

iii. The onus is on responding Chinese exporters to establish that they are operating under market economy conditions.

iv. Market economy status cannot be granted unless the responding company and its group as a whole make the claim. If one or more company forming part of the group and involved either in production or in sale has not filed the response, market economy status must be rejected.

v. In a situation where the current shareholders have not set up their production facilities themselves but have acquired the same from some other party, market economy status cannot be granted unless the process of transformation has been completely established through documentary evidence.

vi. The normal value for China PR could not be determined on the basis of price or constructed value in a market economy third country for the reason that the relevant information is not available to the petitioner. Export price from other countries to India cannot be adopted for the reason that import price from other countries could be affected due to imports from subject countries. In order to arrive at normal value on this basis, the Authority shall require complete and exhaustive verifiable information on all domestic sales made by a cooperating producer in such third country, along with its cost of production and all other associated information and evidences (including all information in the ordinary course of trade). Petitioner has not been able to procure such information from a producer in market economy third country. Domestic Industry has determined normal value on the basis of cost of production in India, duly adjusted.

vii. Efforts were made to get evidence of price of product concerned in the domestic market of Hong Kong and to get evidence of price from published sources. However, the domestic industry could not collect any information/evidence such as price lists or quotations of producers of subject goods in the domestic market of Hong Kong due to lack of relevant information in public domain. In the view of the same, the normal value has been constructed for all exporters/producers from Hong Kong. Domestic Industry has determined normal value for Hong Kong on the basis of estimates of cost of production in Hong Kong, based on best available information.

viii. The export price has been determined for each of the subject countries as per meter price of imports. The export price has been adjusted for the expenses such as Ocean freight, Marine Insurance, VAT Loss (China-1%, Hong Kong- Nil), Commission, Port expenses, Bank Charges and Inland Freight Expenses.

ix. Dumping has continued even after imposition of duty and dumping margin is significant and above de minimis levels for each of the subject countries.

Submissions made by the producers/exporters/other interested parties

16. None of the producers/exporters of the subject goods has filed any questionnaire response or legal submission, or has otherwise provided necessary information with respect to normal value, export price or dumping margin.

Examination of Market Economy Claims and Determination of Normal Value in China PR

17. Under section 9A (1) (c) normal value in relation to an article means:

(i) the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or

(ii) when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either-

(a) comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or

the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6):

Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transshipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.

18. At the stage of initiation, the Authority proceeded with the presumption by treating China PR as a non-market economy country. Upon initiation, the Authority advised the producers/exporters in China to respond to the notice of initiation and provide information relevant to determination of their market economy status. The Authority sent copies of

the MET questionnaire to all the known producers/ exporters for rebutting presumption of nonmarket economy in accordance with criteria laid down in Para 8(3) of Annexure-I to the Rules. The Authority also requested Government of China to advise the producers/exporters in their country to provide the relevant information. However, none of the Chinese producers/exporters have filed any response. The Authority notes that in the past three years China PR has been treated as a non-market economy country in anti-dumping investigations by India and other WTO Members. In view of the same, the Authority treats the subject country producers/exporters as non-market economy in the present investigation.

19. The Authority notes that in the past China PR has been treated as a non-market economy country in anti-dumping investigations by other WTO Members and India. Therefore, in terms of Para 8(2) of the Annexure-I of Anti-dumping Rules, China PR is treated as a non-market economy country subject to rebuttal of the presumption by the exporting country or individual exporters in terms of the above Rules.

20. As per Paragraph 8, Annexure I to the Anti Dumping Rules as amended, the presumption of a non-market economy can be rebutted if the exporter(s) from China PR provide information and sufficient evidence on the basis of the criteria specified in sub-paragraph (3) in Paragraph 8 and prove to the contrary. The cooperating exporters/producers of the subject goods from People's Republic of China are required to furnish necessary information/sufficient evidence as mentioned in sub-paragraph (3) of paragraph 8 in response to the Market Economy Treatment questionnaire to enable the Designated Authority to consider the following criteria as to whether:-

i. The decisions of concerned firms in China PR regarding prices, costs and inputs, including raw materials, cost of technology and labour, output, sales and investment are made in response to market signals reflecting supply and demand and without significant State interference in this regard, and whether costs of major inputs substantially reflect market values;

ii. The production costs and financial situation of such firms are subject to significant distortions carried over from the former non-market economy system, in particular in relation to depreciation of assets, other write-offs, barter trade and payment via compensation of debts;

iii. Such other firms are subject to bankruptcy and property laws which guarantee legal certainty and stability for the operation of the firms; and

iv. The exchange rate conversions are carried out at market rate.

21. The Authority notes that in the present investigation none of the exporters from China PR has filed any response. As information about actual domestic sales price, information on exports to third country or cost of production in China PR and other information as per the questionnaire have not been furnished by the producer/exporter in that country; the Authority has relied upon the best available information for determination of normal value.

22. In view of the above, the Authority has determined normal value having regard to para-7 of Annexure-I for the purpose of present investigation. The normal value for the subject products imported from China PR into India has been constructed considering consumption of major imported raw materials as per information provided by the domestic industry, conversion cost, interest, SGA etc. at the levels allowed for the domestic industry, 5% of cost of sales excluding interest has been allowed towards reasonable profit.

Determination of Normal Value in Hong Kong

23. Since none of the producers and exporters in Hong Kong have responded to the questionnaire in the form and manner prescribed, nor have submitted any evidence with regard to the Normal Value of the subject good in the subject country, the Authority is constrained to determine the normal value in this country on the basis of the best facts available, including the information contained in the petition of the domestic industry. Accordingly the Authority has constructed the normal value in Hong Kong on the basis of the estimates of cost of production based on best information available. The normal value so determined for Hong Kong is mentioned in the dumping margin table below. The normal value for the subject products imported from Hong Kong into India has been constructed considering consumption of major imported raw materials as per information provided by the domestic industry. All other raw material and utility cost of the domestic industry have been adopted considering best consumption factors and best known estimates of conversion cost during the relevant period. Selling, general & administrative costs and reasonable profit margin have been added to the cost of production so determined so as to arrive at the constructed normal value.

Determination of Export Price

24. Since none of the exporters from the subject countries has provided any information in the form and manner prescribed that can be used for determination of the export price, the Authority has determined the export prices for all exporters from subject countries on the basis of CIF prices of imports to India as per DGCI&S data. The export price has been determined on the basis of weighted average import price into India.

25. Price adjustments have been made on the basis of claims made by applicant domestic industry in view of non cooperation from the exporters from China PR and Hong Kong. Export price has been determined at ex-factory level after adjusting for ocean freight, marine insurance, VAT Loss (China -1%, Hong Kong- Nil), Commission, bank charges, port and inland freight expenses.

DUMPING MARGIN

26. Considering the normal value and export price as determined above, the dumping margin has been determined as follows. It is seen that the dumping margin is more than de-minimis and significant.

Dumping Margin Table

Particulars	Unit	China	Hong Kong
Basis of Normal Value		Constructed	Constructed
Normal Value	US$/Mtr	****	****
Export Price	US$/Mtr	****	****
Dumping Margin	US$/Mtr	****	****
Dumping Margin	%	****	****
Dumping Margin	Range	30-40	20-30

G. METHODOLOGY FOR INJURY DETERMINATION AND EXAMINATION OF INJURY AND CAUSAL LINK

Submissions by the Domestic Industry

27. The Domestic Industry has made the following submissions with regard to the injury and causal link:

i. The period of investigation (POI) for the purpose of present investigation is October, 2012- September, 2013 (12 months).The injury period has however, been considered as the period 2010-11, 2011-12, 2012-2013 and the POI.

ii. Cumulative assessment has been adopted, as was followed earlier by Designated Authority in the original investigations, since the volume of imports and dumping margin from each of the subject countries is more than limits prescribed and cumulative assessment is appropriate.

iii. While imposition of anti dumping duty has prevented decline of the domestic industry, it has not helped the domestic industry in improving its performance to the extent the domestic industry could have in the absence of continued dumping. This is in the view of form of anti dumping duty. Since the imports have occurred without the payment of anti dumping duty, the volume of imports has remained significant.

iv. The market share of the domestic industry has increased over the injury period. However, market share of dumped imports has remained significant despite existing anti dumping duty in view of the existing form of anti dumping duty. The dumping margins are not only more than de minimis but also very substantial.

v. Even though performance of the domestic industry improved in terms of various economic parameters, the improvement in volume parameters was far below the levels that the domestic industry could have achieved in the absence of dumping practices.

vi. Imports are undercutting the domestic price and effect of cessation of anti dumping duty shall be significant depressing effect on the prices of the domestic industry in the market.

vii. The domestic industry is not able to achieve optimum levels despite anti dumping duty. This is due to continued presence of dumped imports.

viii. The domestic industry has continued to suffer adversely on volume accounts despite existing anti dumping duty. This has been primarily because of form of anti dumping duty. The benchmark form of anti dumping duty has not been able to prevent dumping of the product in the country.

Submissions made by the producers/exporters/other interested parties

28. No submission has been made by any producer/exporter/other interested parties with regard to the injury and causal link. M/s Sachdeva Fabric World Pvt. Ltd., who were earlier considered in the list of Other Indian Producers,

have informed that they do not produce fabric with flax content of 50% or more. Therefore, they have been excluded from the total flax production.

Examination by the Authority

29. In consideration of the various submissions made by the domestic industry in this regard, the Authority proceeds to examine the current injury, if any, to the domestic industry before proceeding to examine the likelihood aspects of dumping and injury on account of imports from the subject country.

30. Article 3.1 of the WTO Agreement and Annexure-II of the AD Rules provide for an objective examination of both, (a) the volume of dumped imports and the effect of the dumped imports on prices, in the domestic market, for the like products; and (b) the consequent impact of these imports on domestic producers of such products. With regard to the volume effect of the dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute term or relative to production or consumption in India. With regard to the price effect of the dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been significant price undercutting by the dumped imports as compared to the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress the prices to a significant degree, or prevent price increases, which would have otherwise occurred to a significant degree.

31. As regards the impact of the dumped imports on the domestic industry Para (iv) of Annexure-II of the Anti-dumping Rules states as follows:

> *"The examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry concerned, shall include an evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the Industry, including natural and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of margin of dumping actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments."*

32. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, stock, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II of the rules supra.

33. According to Section 9(A)(5) of the Customs Tariff Act, anti-dumping duty imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on the expiry of five years from the date of such imposition, provided that if the Central Government, in a review, is of the opinion that the cessation of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury, it may, from time to time, extend the period of such imposition for a further period of five years and such further period shall commence from the date of order of such extension.

34. The present investigation is a sunset review of anti-dumping duties in force. Rule 23 provides that provisions of Rule 11 shall apply, mutatis mutandis in case of a review as well. The Authority has, therefore, determined injury to the domestic industry considering, mutatis mutandis, the provisions of Rule 11 read with Annexure II. Further, since anti-dumping duties are in force on imports of the product under consideration, the Authority considers whether the existing anti-dumping duties on the imports of subject goods from China PR and Hong Kong are required to be considered while examining injury to the domestic industry. The Authority has examined whether the existing antidumping measure is sufficient or not to counteract the dumping which is causing injury.

35. According to Section 9(A)(5) of the Customs Tariff Act, anti-dumping duty imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on the expiry of five years from the date of such imposition, provided that if the Central Government, in a review, is of the opinion that the cessation of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury, it may, from time to time, extend the period of such imposition for a further period of five years and such further period shall commence from the date of order of such extension.

36. For the purpose of current injury analysis, the Authority has examined the volume and price effects of dumped imports of the subject goods on the domestic industry and its effect on the prices and profitability to examine the existence of injury and causal links between the dumping and injury, if any. The Authority has examined injury to the domestic industry by considering information relating to M/s Jaya Shree Textiles constituting domestic industry under the Rules. Accordingly, the volume and price effect of dumped imports have been examined as follows:

H. **Volume Effect of dumped imports and Impact on domestic Industry**

a) Demand and Market Share

37. The Authority has determined demand or apparent consumption of the product in India as the sum of domestic sales of the Indian producers and imports of the subject goods in India from all sources as per tables given below:

Demand and Market Share in India

SN	Particulars	UOM	2010-11	2011-12	2012-13	POI	2013-14
(A)	Demand						
(i)	Subject Countries	LacMtrs	56	56	53	49	49
	China	Lac Mtrs	52	52	49	46	47
	Hong Kong	Lac Mtrs	4	4	4	3	2
(ii)	Other Countries	Lac Mtrs	3	4	2	2	2
	Total Import	Lac Mtrs	**59**	**60**	**55**	**51**	**51**
(iii)	DI domestic Sales	Lac Mtrs	58	63	70	71	75
(iv)	Other Indian Producers*	Lac Mtrs	88	90	106	119	127
	Total Demand	Lac Mtrs	**205**	**213**	**232**	**241**	**253**
	Trend						
(B)	Market Share						
(i)	Subject Countries	%	27%	26%	23%	20%	19%
(ii)	Other Countries	%	1%	2%	1%	1%	1%
(iii)	DI domestic Sales	%	28%	29%	30%	30%	30%
(iv)	Other Indian Producers	%	43%	43%	46%	49%	50%
	Total	**%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

- *The information w.r.t. other producers (excluding supporter company) estimated based on market intelligence by DI. Post POI information as received from DI. M/s Sachdeva Fabric World Pvt. Ltd., who were earlier considered in the list of Other Indian Producers, have informed that they did not produce fabric with flax content of 50% or more during the period of POI. Therefore, they have been excluded from the total flax production and sales (both estimated) during the period.*

38. The overall demand of the product under consideration is showing positive trend and has increased during the injury period from 205 lac. mtrs. during 2010-11 to 241 lac. mtrs. during the POI. The Table further shows that even though the volume of imports from the subject countries is showing reducing trend, the market share of DI is almost stagnant at about 30%. However, the market share of other Indian producers is increasing from 43% during 2010-11 to about 50% during 2013-14. The Authority, however, also notes that imports of the subject goods from the subject countries have remained significant at about 20% during POI in relation to the total demand in the country.

Price Effect of the Dumped imports and impact on the Domestic Industry

39. The impact on the prices of the domestic industry on account of imports of the subject goods from the subject country have been examined with reference to price undercutting, price underselling, price suppression and price depression. For the purpose of this analysis, the cost of production, net sales realization (NSR) and the non-injurious price (NIP) of subject goods of the domestic industry have been compared with landed value of imports from the subject countries. A comparison for subject goods during the period of investigation was made between the landed value of dumped imports and the domestic selling price in the domestic market. In determining the net sales realization of the domestic industry, taxes, rebates, discounts and commission offered by the domestic industry have been adjusted. The price underselling is an important indicator of assessment of injury and, thus, the Authority has worked out a non-injurious price and compared the same with the landed value to arrive at the extent of price underselling. The non-injurious price has been evaluated for the domestic industry by appropriately considering the cost of production for the product under consideration during the POI. The position is as follows:

a) Price Undercutting and Price Underselling

40. Price undercutting has been assessed by comparing the export price with the domestic selling price in India of the subject goods during the period of investigation. It would be seen that the landed price of imports is lower than the selling price of the domestic industry, as shown in the following table:

(a) Total Subject Countries

"SN"	Particulars	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	POI
1	Net Sales Realization	Rs./Mtr	****	****	****	****
	Indexed	Index	100	120	128	133
2	Landed Value of imports	Rs./Mtr	156	213	205	217
	Indexed	Index	100	137	131	139
3	Price Undercutting	Rs./Mtr	****	****	****	****
	Indexed	Index	100	95	123	124
4	Price Undercutting	% NSR	****	****	****	****
		Range	35-45	25-35	30-40	30-40

(b) China

"SN"	Particulars	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	POI
1	Net Sales Realization	Rs./Mtr	****	****	****	****
	Indexed	Index	100	120	128	133
2	Landed Value	Rs./Mtr	154	209	203	216
	Indexed	Index	100	135	132	140
3	Price Undercutting	Rs./Mtr	****	****	****	****
	Indexed	Index	100	97	122	122
4	Price Undercutting	% NSR	****	****	****	****
	Range	Range	35-45	25-35	30-40	30-40

(c) Hong Kong

"SN"	Particulars	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	POI
1	Net Sales Realization	Rs./Mtr	****	****	****	****
	Indexed	Index	100	120	128	133
2	Landed Value	Rs./Mtr	180	275	224	223
	Indexed	Index	100	152	125	124
3	Price Undercutting	Rs./Mtr	****	****	****	****
	Indexed	Index	100	44	136	155
4	Price Undercutting	% NSR	****	****	****	****
		Range	20-30	10-20	30-40	30-40

41. The Authority notes that the net sales realization of the domestic industry is above the landed price of imports from both the countries individually and collectively.

Price Underselling

42. Price underselling has been assessed by comparing the landed price of imports with the non injurious price of the domestic industry for the period of investigation. It is seen that the landed price of imports is significantly below the non injurious price of the domestic industry, as shown in the following table:

Particulars	UOM	China	Hong Kong
Non-Injurious Price of Domestic industry	Rs./Mtr	****	****
Landed value	Rs./Mtr	216	223
Price Underselling	Rs./Mtr	****	****
Price Underselling	%	****	****
Price Underselling	Range	10-20	10-20

43. The Authority notes that the landed value is not only lower than the net sales realization but also the NIP.

b) Price Suppression and Depression

44. To examine the price suppression and depression effects of the dumped imports on the domestic prices, the trend of net sales realization of the domestic industry has been compared with the cost of sales. The given data shows low levels of landed price of imports when compared with the cost of sales.

SN	Particulars	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	POI
1	Landed Value	Rs./Mtr	156	213	205	217
	Indexed		100	137	131	139
2	Cost of sales	Rs./Mtr	****	****	****	****
	Indexed		100	117	124	133
3	Net Selling Price	Rs./Mtr	****	****	****	****
	Indexed		100	120	128	133

45. It is seen that the landed price of imports is materially below the cost of sales and selling price of the domestic industry during the injury period and POI.

Impact on Economic Parameters of the Domestic Industry

46. Annexure II to the Anti-dumping Rules requires that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of these imports on domestic producers of such products. With regard to consequent impact of these imports on domestic producers of such products, the Anti-dumping Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments.

47. Various injury parameters relating to the domestic industry are discussed herein below.

a) Capacity, Production, Capacity Utilization and Sales

48. Information on capacity, production, capacity utilization and sales volumes of the domestic industry has been as under.

Particulars	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	POI	2013-14
Installed Capacity (Processing)	Lac Meter	101	101	101	101	101
Trend		100	100	100	100	100
Production	Lac Meter	66	61	67	73	86

Trend		100	93	102	111	130
Capacity Utilization	%	65.49	60.62	66.78	72.74	84.78
Trend		100	93	102	111	130
Domestic Sales Volume	Lac Meter	58	63	70	71	75
Trend		100	109	122	124	129

49. The domestic industry has submitted that it has production processing capacities of 101 lac meters. However, it could utilize capacities to the extent of 73 lac meters only. The Authority notes that the processing capacity for the production of the product concerned has no significant change and has remained constant over the injury period. However, the production and sales have increased over the injury period. Therefore, capacity utilization has improved over the injury period.

Segment Analysis

50. The DI has analysed its invoice wise total sales listing during the POI period to assess the effect of dumping from the subject countries on various customer segments. DI has segregated and grouped its customers into various segments such as Retail, Whole Sale, RMG (Readymade Garment), Domestic, RMG Export; Export, FR/Industrial and Others. The DI considered that each of these market segment represents a market with its own dynamics. Therefore, DI has requested the Authority to also keep in consideration the impact of dumping on competing segments. It is also stated that the Authority had considered similar groupings during original investigations also. The information with regard to customer segment wise sales volumes, is given below -

	Sales during period (in '000 meters)	2010-11	2011-12	2012-13	POI	Remarks
(a)	Own retail chain	****	****	****	****	No Competition
	Trend	100	145	147	165	
(b)	Wholesale/trader	****	****	****	****	Low Competition
	Trend	100	138	171	196	
(c)	End Consumers domestic	****	****	****	****	Direct Competition
	Trend	100	108	127	119	
(d)	End Consumers exports	***	***	***	***	Direct Competition
	Trend	100	66	79	49	
(e)	Fire retardant	***	***	***	***	Direct Competition
	Trend	100	81	52	34	
(f)	Industrial	****	****	****	****	Direct Competition
	Trend	100	118	91	158	
(g)	Misc	****	****	****	****	No Competition
	Trend	100	66	70	80	
(h)	Total domestic market	****	****	****	****	
	Trend	100	109	122	123	
(i)	Exports	****	****	****	****	No Competition
	Trend	100	69	63	58	
(j)	**Total for the company**	**6,086**	**6,505**	**7,230**	**7,304**	
	Trend	100	107	119	120	
(k)	Total competing segment	****	****	****	****	

	[(c),(d),(e)(f)]*					
	Trend	100	95	103	91	
(l)	Share of sales in competing segment	62%	53%	51%	44%	

* *Does not include wholesaler/trader (low competition)*

51. DI has further added that whereas overall sales of the domestic industry have increased over the injury period, sales in the competing segments have declined in 2011-12 and POI. Sales in competing segments in POI were lower than not only preceding year but also base year. However, this situation improves significantly, if wholesale/traders volume is also considered. Moreover, Wholesalers/Traders are generally well informed about the prevalent competitive rates as they deal in large quantities. Further, the Authority notes that the segment analysis is based on the data by one company only, which constitutes about 30% of the total market.

52. The following analysis further reveals that the net sales realizations in the competing segments are far lower than the net sales realizations in non-competing segments. Therefore, DI has contended that despite increase by Rs. ***/- per mtr. cost of production during POI, there is no comparable increase in selling price in the competing segment, which increased by only Rs. *** per mtr. during this period as per details below:

Period		2010-11	2011-12	2012-13	POI
Total domestic market	Rs./meter	****	****	****	****
Trend	Index	100	120	128	133
Selling Price competing segment	Rs./meter	****	****	****	****
Trend	Index	100	114	118	119
Non Injurious Price	Rs./meter				***
Landed price of imports	Rs./meter	156	213	205	217
Cost of production	Rs./meter	****	****	****	****
Trend	Index	100	117	124	133
Profit/Loss - competing segment		****	****	****	(****)
Trend		100	72	39	-56
Increase in:					
Landed price of imports	Rs./meter		****	(****)	****
Trend	Index		100	-14	21
Selling Price of competing segment	Rs./meter		****	****	****
Trend	Index		100	29	12
Cost of production	Rs./meter		****	****	****
Trend	Index		100	42	55

53. The Authority notes that the price of any product depends on many factors including its quality, finishing and quantity of order (volume). However, it is also noted that the prices are generally lower with low profit margins, wherever, competition is there.

b) Profitability of Domestic Industry

54. The profitability of the domestic industry has been examined as under:

Particulars	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	POI
Cost of Sales	Rs./Meter	****	****	****	****
Trend		100	116	124	133
Selling Price	Rs./Meter	****	****	****	****
Trend		100	120	128	134
Profit/ Loss	Rs./Meter	****	****	****	****
Trend		100	148	163	140

55. It can be seen from the table below that the overall Cash Profits on PUC have increased from Rs. *** Lacs in base year 2010-11 to Rs. *** Lacs in POI. Therefore, Return on Capital Employed has also followed the similar trend by increasing from ***% during 2010-11 to***% in POI as per details below:

Particulars	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	POI	2013-14
Profit Before Interest and Tax (PBIT)	Rs.Lacs	****	****	****	****	****
Trend	Indexed	100	164	179	164	236
Interest	Rs Lacs	****	****	****	****	****
Trend	Indexed	100	179	80	115	147
Profit/Loss	Rs Lacs	****	****	****	****	****
Trend	Indexed	100	161	198	174	253
Depreciation	Rs Lacs	****	****	****	****	****
Trend	Indexed	100	116	122	125	145
Cash Profit	Rs Lacs	****	****	****	****	****
Trend	Indexed	100	150	180	162	228
Capital Employed on NFA Basis	Rs Lacs	****	****	****	****	****
Trend	Indexed	100	87	79	94	127
Return on Capital (ROCE)	%	****	****	****	****	****
Trend	Indexed	100	188	227	177	186

Employment and Wages

56. The status of employment levels and wages of the domestic industry has been as under:

SN	Particulars	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	POI
1	Employees	No.	****	****	****	****
	Trend	Index	*100*	*112*	*117*	*132*
2	Wages	Rs. Lacs.	****	****	****	****
	Trend	Index	*100*	*172*	*218*	*244*

57. It is noted that the employment level and wages have increased over the injury period.

c) Productivity

58. The productivity of the domestic industry is given in the following table.

Particulars	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	POI
Productivity per Day	Meters	18,897	17,494	19,271	20,991
Trend	Index	100	93	102	111

59. The Authority notes that the productivity has increased over the injury period.

d) Inventories

60. The Authority has examined the inventory level of the domestic industry which is given in the table below.

Particulars	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	POI
Average Stock	Lacs meters	15	16	12	13
	Index	100	106	80	82

61. It is noted that the inventory with the domestic industry has declined.

e) Magnitude of Dumping

62. Magnitude of dumping as an indicator of the extent to which the dumped imports can cause injury to the domestic industry shows that the dumping margin determined by the Authority against the subject countries in the POI are above *de-minimis* and significant.

f) Ability to raise capital investments

63. The Authority notes in this regard that the domestic industry has sufficient ability to raise capital investments.

64. The Authority notes that although the domestic industry has shown improvement in a number of parameters, it feels that it could not achieve optimum levels of improvement due to the continued presence of dumped imports.

g) Factors Affecting Domestic Prices

65. The examination of the import prices from the subject countries and other countries, change in the cost structure, competition in the domestic market, factors other than dumped imports that might be affecting the prices of the domestic industry in the domestic market shows that without antidumping duty, the landed value of the subject goods imported from the subject countries are below the selling price and the non-injurious price of the domestic industry, causing significant price undercutting as well as price underselling in the Indian market.

Other Known Factors and Causal Link

66. The Authority has also examined whether other known factors could have caused injury to the domestic industry as follows.

(a) <u>Contraction in demand and / or change in the pattern of consumption</u>

The pattern of consumption with regard to the product under consideration has not undergone material change against the product under consideration. This is clearly established by significant increase in demand for the product in the country. Changes in the pattern of consumption could not have, therefore, contributed to the in**jury to the domestic industry.**

(b) <u>Trade restrictive practices of and competition between foreign and domestic producers</u>

There is no known trade restrictive practice, which could have contributed to the injury to the domestic industry.

(c) <u>Developments in Technology</u>

The Authority notes that there is no evidence of developments in technology with respect to the product or its manufacture that could have resulted in the injury caused to the domestic industry.

(d) <u>Export performance</u>

Petitioner has exported the product under consideration to third countries. However, the claimed injury to the domestic industry is on account of domestic operations. Petitioner has provided costing and injury information for domestic sales separately. Hence, the claimed injury to domestic industry cannot be attributed to exports.

(e) Performance of other products

Claimed injury to the domestic industry is on account of product under consideration. The petitioner has provided information which pertains only to the product under consideration. Thus, the financial information provided with regard to product under consideration clearly shows the position of the domestic industry with regard to like article produced and sold by the domestic industry.

67. The Authority concludes that while the known other factors listed above do not appear to have caused the injury determined, the following parameters show that injury to the domestic industry is likely by the dumped imports in the event of cessation of anti dumping duty.

i. The volume of imports of the subject goods from the subject countries is quite significant.

ii. Imports of the subject goods from the subject countries are undercutting domestic industry's prices.

iii. The consumers switching over to the imported product would imply decline in demand for the domestic industry product and increase in demand for the dumped product.

iv. Despite the existence of anti-dumping duties in force on the imports of the subject goods from the subject countries, significant volume of dumped imports continues from this source. This indicates that should the measures be allowed to expire, dumping will intensify and cause further injury to the domestic industry.

v. In case of cessation of anti dumping duties the subject country exporters shall be able to further capture the market in view of their high production capacities and low export prices.

Conclusion on Injury and Causation

68. The Authority notes that the volume of dumped imports from the subject countries continue to be significant even after antidumping duty in force. The performance of the domestic industry has improved on account of various parameters. DI, however, pleads that it has not improved to the levels it could have been achieved by the domestic industry had there been no dumping of the product in the Country. The Authority concludes that there is injury to the domestic industry on account of dumping of the subject goods from the subject countries.

I. **Likelihood of continuation/recurrence of dumping and injury**

Submissions by Domestic Industry

69. The domestic industry has made the following submissions with regard to likelihood of continuation/recurrence of dumping and injury:-

i. There is continued dumping of the product under consideration from the subject countries. Dumping of the product under consideration is likely to intensify from the subject countries should the current anti-dumping duty be revoked;

ii. Although the domestic industry performance shows some improvement, it is only because of the imposition of anti dumping duty on the product under consideration. The withdrawal of the anti dumping duty shall lead to injury to the domestic industry.

iii. The Dumping Margins determined in previous investigations and present investigations are significant and clearly show likelihood of dumping and consequent injury in the event of cessation of anti dumping duty.

iv. The subject foreign producers are holding huge surplus capacities. Cessation of present duty will resume dumping from subject countries ultimately causing injury to the Domestic industry.

v. The majority of the producers in the subject countries export the product under consideration rather than selling it in their respective domestic markets. This clearly establishes the export orientation of the manufacturers in the subject countries.

vi. There is likelihood of dumping in the view of Indian market being highly price sensitive.

vii. Imports from subject countries are causing severe price undercutting which shows that in case of cessation of duties the price undercutting would deepen further.

viii. In case of likelihood even if one or two parameters are satisfied the duty may be continued.

Examination by the Authority

70. The present investigation is a sunset review of anti-dumping duties earlier imposed on the imports of Flax Fabric from China PR and Hong Kong. Under the Rules, the Authority is required to determine whether continued imposition of antidumping duty is warranted. This also requires a consideration of whether the duty imposed is serving the intended purpose of eliminating injurious dumping. In this case, as there are continued dumped imports, the Authority is required to examine whether cessation of anti dumping duty is likely to lead to continued dumping of the product. Exporters and producers from the subject countries are exporting the subject goods at dumped prices. In the previous investigations also the dumping margin was significant. In such a situation, the Authority has no reason to believe that dumping will not intensify if the existing duty is revoked.

71. It is a matter of fact that despite the anti-dumping measures in force, the subject countries could still dump the subject goods in the Indian market. The following analysis shows likelihood of continuation/intensification of dumping and recurrence of injury to the domestic industry in the event of revocation of anti dumping duty.

a. **Level of current and past dumping margin**

72. The level of dumping margin both in the original as well as the present investigation is significant. These are represented in the table below. The significant dumping margins clearly show likelihood of dumping and consequent injury in the event of cessation of anti dumping duty.

Present Investigation			
Particulars	Unit	China	Hong Kong
Dumping Margin	US$/Mtr	****	****
Dumping Margin	INR	****	****
Dumping Margin	%	****	****
Dumping Margin	Range	30-40	20-30
Original Investigation			
Particulars	Unit	China	Hong Kong
Dumping Margin	US$/Mtr	****	****
Dumping Margin	Rs.	****	****
Dumping Margin	%	****	****
Dumping Margin	Range	200-250	100-150

b. **Price undercutting, suppression, depression in the absence of measures**

73. DI has submitted that the price at which the subject goods are being exported by China PR and Hong Kong to India is an indicator of the likelihood of the price at which the goods are likely to be exported from subject countries in the event of cessation of anti dumping duty. It has further pleaded that even though the NSR is above the landed value of dumped imports, the price undercutting has reduced the value of sales especially in the competing segment. Thus, with the cessation of anti-dumping duties, there is strong likelihood of increased imports by the Indian consumers. The exporters would also be encouraged to channelize their output in the Indian market as they have surplus capacities and are selling their products at comparatively lower prices.

c. **Surplus capacities and Export orientation with the foreign producers**

74. As per information on records as submitted by DI, the capacity with the producers in China is quite significant and their export orientation is quite high. Information provided by the domestic industry shows capacities with various exporters as follows:

Export orientation of known exporters in subject countries

SN	NAME	Capacity MTRs/Year	Export Percentage-%
1.	Changshu Lifeng Linen & Cotton Weaving Co Ltd.	20,00,000	51 - 60
2.	Hunan Goldentex Co., Ltd.	60,00,000	91- 100
3.	Wujiang Hongji Textile Co., Ltd.	12,00,000	31 - 40
4.	Zhucheng Deliyuan Textile Co., Ltd.	21,94,560	21 - 30

5.	Yueqing Reliable Electric Co., Ltd.	52,00,000	91- 100
6.	Shaoxing Gucco Import And Export Co., Ltd.	1,20,00,000	71- 80
7.	Wujiang Tangchao Textile Co., Ltd.	9,50,976	91 - 100
8.	Haining Yutex Co., Ltd.	12,00,000	91- 100
9.	Qingdao Yuzhou Knit And Textile Co., Ltd.	60,000	91 - 100
10.	Wujiang Maishunda Silk Textile Co., Ltd.	6,00,000	61 - 70
11.	Shaoxing In Hand Textile Co., Ltd.	1,50,000	81- 90
	Total known capacity	3,15,55,536	

Source: Domestic industry submissions based on website claims of the companies identified above

While Chinese producers have preferred non cooperation, the Authority notes that the available information shows significant capacities with the Chinese producers.

75. Further, with the growing market in India , it is likely that cessation of anti dumping duty would lead to intensified imports at dumped and injurious price causing recurrence of injury to the domestic industry.

Segment wise comparison between DI & Subject countries

e. ***Price attractiveness of Indian market***

76. DI is of the view that the prices at which subject goods are being imported are substantially lower than the price at which the goods are being sold in the domestic market. Therefore, in case of expiry of duty, exporters from subject country would further channelize their output in the Indian market in view of the significant capacity with them.

f. ***Current performance of the domestic industry***

77. The Performance Analysis by the domestic industry shows that about 62% of the sales of the domestic industry in 2010-11 was in those markets where the domestic industry is facing direct competition from Chinese products. The analysis further shows that the share of domestic industry's sales in competing segments has declined from 62% during the year 2011-12 to 44% during the POI. Therefore, there is likelihood of more dumping by the Chinese producers/exporters, if anti dumping duty is removed.

Conclusion on Likelihood of dumping and injury

78. Considering the current level of imports from the subject countries despite the imposition of anti dumping duties, the Authority to concludes that there exists likelihood of intensified dumping and consequent injury to the domestic industry in the event of cessation of anti dumping duty. It is further noted that the import prices had undercut the domestic prices and also have a significant suppressing effect on the domestic prices.

Magnitude of injury and injury margin

79. The Authority has determined the non-injurious price for the domestic industry, taking into consideration the cost of production of the domestic industry. This non-injurious price of the domestic industry has been compared with the landed value of the subject goods' imports from the subject countries to determine the injury margin. The injury margin has been worked out as follows:

Particulars	Unit	China	Hong Kong
Non Injurious Price	USD/Meter	****	****
Landed Price	USD/Meter	3.80	3.92
Injury Margin	USD/Meter	****	****
Injury Margin	%	****	****
Injury Margin	Range	10-20	10-20

Exchange Rate=56.90 Rs/USD

80. It is seen that the level of injury margin, as determined, is significant.

J. Indian Industry's Interest and other issues

81. The Authority recognizes that the imposition of anti dumping duties might affect the price levels of the product in India. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the imposition of anti dumping measures. On the contrary, imposition of anti-dumping measures would remove the unfair advantages gained by dumping practices, prevent the decline of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of subject goods. The Authority notes that the imposition of the anti dumping measures would not restrict imports from the subject country in any way, and therefore, would not affect the availability of the product to the consumers. The purpose of imposing anti-dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country.

K. Post Disclosure Comments

82. The authority notes that the disclosure statement was sent to the domestic industry and the Embassy of China and Hong Kong. No other interested party had participated in the present investigations. The following comments have been filed by the Domestic Industry and the Department of Trade and Industry, Hong Kong, as considered relevant by the authority.

I. Comments of Domestic Industry

a. The foreign producers have not cooperated or even participated in the present sunset review investigation and therefore Designated Authority is fully justified in proceeding with the best available information.

b. In spite of the anti-dumping duty in force, the subject exporters command a significant share in the Indian market. The volume of imports of the subject goods from the subject countries is quite significant.

c. Imports of the subject goods from the subject countries are undercutting domestic industry's prices.

d. The consumers switching over to the imported product would imply decline in demand for the domestic industry product and increase in demand for the dumped product.

e. Despite the existence of anti-dumping duties in force on the imports of the subject goods from the subject countries, significant volume of dumped imports continues from this source. This indicates that should the measures be allowed to expire, dumping will intensify and cause further injury to the domestic industry.

f. In case of cessation of anti dumping duties the subject country exporters shall be able to further capture the market in view of their high production capacities and low export prices.

g. The imports of the subject goods from the subject countries continued in significant volumes and at dumped prices in spite of existing anti dumping duties.

h. Continued imports at dumped prices are because of form of anti dumping duty. Even when the cost of production has increased, the benchmark has remained the same, leading to continued imports of the product under consideration.

i. The landed price of imports was above benchmark of anti dumping duty.

j. The volume of dumped imports from the subject countries continue to be significant even after antidumping duty in force. The performance of the domestic industry has improved on account of various parameters. However, domestic industry has not improved to the levels that could have been achieved by the domestic industry had there been no dumping of the product in the Country. There is injury to the domestic industry on account of dumping of the subject goods from the subject countries.

k. Level of injury margin is significant.

l. It is likely that cessation of anti dumping will lead to intensified imports at dumped and injurious price causing recurrence of injury to the domestic industry.

m. Chinese producers have preferred non cooperation. The disclosure statement shows significant capacities with the Chinese producers.

n. The price at which the subject goods are being exported by China PR and Hong Kong to India is an indicator of the likelihood of the price at which the goods are likely to be exported from subject countries in the event of cessation of anti dumping duty. Even though the NSR is above the landed value of dumped imports, the price undercutting has reduced the value of sales especially in the competing segment. Thus, with the cessation of anti-dumping duties, there is strong likelihood of increased imports by the Indian consumers. The exporters would also be encouraged to

channelize their output in the Indian market as they have surplus capacities and are selling their products at comparatively lower prices.

o. The level of dumping margin both in the original as well as the present investigation is significant. The significant dumping margins clearly show likelihood of dumping and consequent injury in the event of cessation of anti dumping duty.

p. The subject foreign producers are holding huge surplus capacities. Cessation of present duty will resume dumping from subject countries ultimately causing injury to the Domestic industry.

q. The majority of the producers in the subject countries export the product under consideration rather than selling it in their respective domestic markets. This clearly establishes the export orientation of the manufacturers in the subject countries.

r. The non injurious price determined is too low. The Designated Authority has reduced the non Injurious price on account of number of factors. The domestic industry submits that the authority should consider actual raw material and utilities consumption. Consumption of raw materials over the years depends on a number of complex factors and is not a result of inefficiency of the domestic industry. In fact, there was no deterioration in its efficiencies with regard to raw materials and utilities. It would be inappropriate to ignore actual production and adopt any other production basis for determination of non injurious price. The petitioner has charged even fixed expenses to the product under consideration considering production levels. The expenses may be fixed for the company. The expenses are not fixed for the product under consideration. It would therefore be inappropriate to normate the expenses. Capital employed should be determined considering present value of fixed assets. Adoption of net fixed assets is highly inappropriate; and, in fact, unfair, considering that some of the investments are significantly old and therefore net fixed assets does not represent true value of investments. In fact, the most appropriate value for the purpose is present value of the investments. Or, in the alternative, the Designated Authority may kindly allow 30% return on investment. Non-injurious price may be re-determined considering the above.

s. Domestic Industry has not been able to increase its production and sales to the extent of its capacities and the imports have caused injury to the domestic industry to that extent.

t. While overall profitability of the domestic industry may be reasonable, the same is because of the sales of the domestic industry through its own chain. Profitability of the domestic industry in respect of customers who are also importing the product under consideration is quite adverse.

u. The sales of the domestic industry have declined in those segments where the buyers are importing the product.

v. The anti dumping duty is required to be modified to fixed form and the duty expressed in US$ terms.

II. Comments of Department of Trade and Industry, Hong Kong

a. Department of Trade and Industry, Hong Kong has stated that, "Given Hong Kong's open market and highly competitive environment, Hong Kong companies have neither the incentive nor support to engage in any dumping activities. For the reasons set out in our previous representations filed in December 2008 and March 2009, we maintain the view that the imposition of anti-dumping duties against imports of flax fabrics from Hong Kong were not justified. We urge the Indian authority to terminate the imposition of anit-dumping duties against imports of flax fabrics from Hong Kong."

Examination by authority

83. The authority notes the post disclosure comments of the interested parties and holds as under.

a. The authority notes that most of the submissions of the domestic industry are in conformity to the present determination and repetitive in nature. These have already been addressed in the disclosure statement and also in the present findings. A number of submissions by the Domestic Industry are merely submissions on confirmation of relevant examination reported in the disclosure statement.

b. As regards submissions that the foreign producers have not cooperated, the authority has recorded the present findings on the basis of best available information, considering that none of the foreign producers have cooperated with the authority.

c. As regards submissions concerning continued imports at dumped prices, imports likely to cause price undercutting and significant positive dumping margin and injury margin, the authority notes that the investigation has shown that the dumping margin, price undercutting and injury margin established by the authority are significant.

d. As regards submissions concerning continued imports at dumped prices due to form of duty, the authority has considered the same appropriately in the present determination and anti dumping duty is being recommended in modified form.

e. As regards decline in sales in the competing segment and lower profits of the domestic industry in respect of those customer segments who are importing the product, the authority has noted the same.

f. As regards the argument that whereas the cost of production has increased, the benchmark has remained the same, leading to continued imports, the authority has considered the same while recommending the form of duty. The authority has now proposed to recommend anti dumping duty in the form of fixed quantum of duty.

g. As regards the submissions of the domestic industry with regard to determination of non injurious price, the authority reiterates that the non injurious price has been determined considering various provisions relating to Annexure-III, of the ADD rules.

h. As regards the submissions by the Department of Trade and Industry, Hong Kong, the authority holds that the review regarding continuance of ADD duties has been undertaken by adhering to the ADD rules by evaluating various relevant parameters of dumping, and consequential injury based on the best available facts as none of the producers/exporters from Hong Kong have participated and filed responses.

L. FINAL FINDINGS

84. Having regard to the contentions raised, information provided and submissions made by the interested parties and facts available before the Authority as recorded in this finding and on the basis of the above analysis of the state of continuation of dumping and consequent injury and likelihood of continuance/recurrence of dumping and injury, the Authority concludes that:

i. Subject goods exported from the subject countries are at prices below their normal value, thus resulting in dumping.

ii. Imports are likely to undercut the prices of the domestic industry in the market in the event of cessation of anti dumping duty, which is likely to result in significant price suppression/depression. The exporters in subject countries are holding significant capacities and the imports are likely to increase in the event of cessation of anti dumping duty. Performance of the domestic industry is likely to deteriorate in the event of cessation of anti dumping duty.

iii. Dumping margin and injury margin are positive in respect of imports of the product under consideration from the subject countries.

iv. Subject goods exported from the subject countries are at prices below cost of production, Non Injurious Price and selling price of the domestic industry, and are likely to cause injury to the domestic industry in the event of cessation of anti dumping duty.

M. Recommendations

85. Having concluded as above, the Authority is of the view that the antidumping measure is required to be extended as specified in the duty table below.

86. Having regard to the lesser duty rule followed by the Authority, the Authority recommends imposition of anti-dumping duty equal to the lesser of the margin of dumping and the margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, the anti dumping duty equal to the amount indicated in the table below is recommended to be imposed by the Central Government on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country.

DUTY TABLE

S.N	Tariff Item	Description of Goods	Country of Origin	Country of Export	Producer	Exporter	Amount	Unit of Measurement	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	5309	Flax or Linen fabric (note below)	China PR	Any	Any	Any	0.75	Per meter	US$
2	5309	Flax or Linen fabric	Any other than Hong	China PR	Any	Any	0.75	Per meter	US$

		(note below)	Kong Hong and country attracting duty						
3	5309	Flax or Linen fabric (note below)	Hong Kong	Any	Any	Any	0.63	Per meter	US$
4	5309	Flax or Linen fabric (note below)	Any other than China and country attracting duty	Hong Kong	Any	Any	0.63	Per meter	US$

Note : Product under consideration is "Flax or Linen Fabric having flax content of more than 50%".

Further Procedure

87. An appeal against the order, after its acceptance by the Central Government, shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act, 1975.

88. The Authority may review the need for continuation, modification or termination of the measure as recommended herein from time to time as per the relevant provisions of the Act, Rules and public notices issued in this respect from time to time. No request for such a review shall be entertained by the Authority unless the same is filed by an interested party as per the time limit stipulated for this purpose.

J.K DADOO, Designated Authority

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.